Page No.1

राजस्थान विधान सभा

३१ वीं बैठक, सोमवार, दिनांक–३१ मई, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ५ बजकर १० मिनट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ९७१

कुछ तहसीलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की लाग वसूली

श्री चाँदमल मेहता—क्या मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग यह बतलाने का कष्ट करेंगे :

(१) राजस्थान में ऐसी कितनी तहसीलें हैं जहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का क्षेत्र न होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की लाग इस विभाग द्वारा वसूल की जाकर सरकारी खजाने में जमा की जा रही है ?

(२) ऐसी कितनी तहसीलें हैं जिनमें यह लाग वसूल होकर सरकारी खजाने में जमा नहीं हो रही है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(१) ऐसी कोई तहसील नहीं है ।

(२) ऐसी भी कोई तहसील नहीं है ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़, रूपनगढ़ और परबतसर तहसीलों में ऐसी लाग तहसीलदारों द्वारा वसूल की जा रही ?

श्री रामकरण जोशी—आप किसी पर्टिक्युलर गाँव का नाम लें तो मैं निवेदन कर सकता हूँ ।

श्री चाँदमल मेहता—मैंने परबतसर, रूपनगढ़, और किशनगढ़ इन तीनों का नाम लिया है ।

श्री रामकरण जोशी—ऐसी कोई तहसील नहीं है जहाँ कि इस प्रकार की लाग वसूल होती हो।

श्री चाँदमल मेहता—यदि इन तहसीलों में लाग वसूल की जा रही हो तो क्या माननीय मन्त्री महोदय वसूल नहीं करने के बारे में आदेश देंगे ?

श्री रामकरण जोशी—मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी तहसील में इस प्रकार की कोई लाग वसूल नहीं की जा रही है।

श्री चाँदमल मेहता—मैं कह रहा हूँ कि वसूल की जा रही है, तो क्या माननीय मन्त्री महोदय उसको माफी करने के आदेश निकालने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि सरवाड़ तहसील में ६ गाँव ऐसे थे जो कि डिप्टी कमिश्नर, मालपुरा के अन्तर्गत हैं और वहाँ जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सेस लागू होता है। इन गाँवों के अलावा कोई ऐसी तहसील नहीं है जहाँ कि इस प्रकार की लाग वसूल की जाती हो।

श्री चाँदमल मेहता—मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में कटमोशन्स भी रखे गये थे। तो क्या तहसील परबतसर, किशनगढ़, और रूपनगढ़ में इस प्रकार की लाग वसूल होती है तो क्या माननीय मन्त्री महोदय उनको माफ करने के लिए आदेश निकालेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—यदि कोई शिकायत आप लिखित रूप में देंगे तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री प्रभुदयाल—पार्ट दो का जवाब नहीं दिया गया ?

एक माननीय सदस्य—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे कि जो सेस ली जा रही है वह गैर कानूनी है ?

श्री रामकरण जोशी—नहीं।

प्रश्न संख्या ६७२

सरदार शहर इन्टर कालेज के लिए प्रिंसिपल का प्रबन्ध

(प्रश्न संख्या ६७२ तथा ६७३ श्री वेदपाल त्यागी द्वारा पूछा गया)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to answer :—

Has the Government provided a Principal for Inter College at Sardarshahar ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(a) Yes. The Principal has been selected by the Public Service Commission, Rajasthan, Jaipur, but he is on deputation to another Department at present. So officiating arrangement has been made. The arrangement for the selection of a temporary principal is also being made. The post has been advertised through the Public Service Commission.

(b) Yes.

(c) Yes. The Inter College is running at present in the High School building.

(d) Yes.

(e) One Seth Shiv Narain Tantia has promised to erect the building.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, I cannot know which question has been replied.

श्री अध्यक्ष—972.

एक माननीय सदस्य—He is going ahead.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—This is not 972. The subject matter is very different.

श्री अध्यक्ष—Has the Government provided a Principal for Inter-College at Sardarshahar.

श्री भोलानाथ—Both the questions are to be replied once. They have been splitted.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—That is a different matter.

श्री भोलानाथ—It was one question.

श्री वेदपाल त्यागी—Q. No. 973.

प्रश्न संख्या ९७३

सरदार शहर के कॉलेज के लिए भवन का प्रबन्ध

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to answer :—

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(a) Is the Government aware that no arrangement for a building for the College has so far been made ?

(b) Is it a fact that the Inter-College is run in the High School building ?

(c) Is it a fact that the High School and Inter-Classes are held in the morning while the same building is used for classes of the Middle section of the School in the noon ?

(d) What steps the Government propose to take to provide proper accommodation for the College ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—I may read it again.

(a) Yes. The Principal has been selected by the P. S. C. Rajasthan, Jaipur, but he is on deputation to another Department at present. So officiating arrangement has been made. The arrangement for selection of another temporary Principal is also being made. The post has been advertised through the P. S. C.

(b) It means (a). Yes.

(c) Yes. The Inter-College is run at pressnt in the High School Building.

(d) Yes.

(e) One Seth Shiv Narain Tantia of Sardarshahar has promised to erect the building for the College at a cost of Rs. 1 lac. A plan was got prepared by the P. W. D, but it amounted to Rs 3 86,000. The P. W. D. was asked to prepare another plan, the estimate and construction of which should not exceed Rs. 1 lac. They have since prepared the plan of the same amount of rupees. It is expected that construction of that building will be taken in hand in the near future.

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह जो खर्चा ओनर (,owner) दे रहे हैं ऐसा सुनने में आया है कि उससे कुछ ज्यादा खर्चा लगेगा, क्या वह ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट अपने खजाने से देगी।

श्री भोलानाथ—ओरीजिनल वर्क्स के लिए ३ लाख ८६ हजार रुपये का एस्टीमेट था, उसको रिडयूस करते-करते १ लाख तक ले आये हैं।

Page No.5

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—जिस का ओरीजिनल एस्टीमेट ३ लाख रूपये था, उसको क्या आप १ लाख तक ले आये हैं ?

श्री भोलानाथ—हां, ले आये हैं।

प्रश्न संख्या ६७४

सन् ५३-५४ में भीलवाड़ा व किशनगढ़ पॉवर हाउस के मजदूरों के श्रम विभाग में दायर किये गये मामलात

श्री चान्दमल मेहता—क्या श्रम मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् ५३-५४ में भीलवाड़ा और किशनगढ़ के पॉवर हाउस के मजदूरों के कितने मामलात इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और पेमेन्ट ऑफ वैजेज़ एक्ट के मातहत लेबर डिपार्टमेंट में दायर किये गये ?

(ख) इन मामलात में कितने फैसले हो चुके हैं और कितने पेंडिंग हैं ?

(ग) मजदूरों के हक में कितने फैसले हुये हैं ?

श्री रामकरण जोशी—(श्रम मन्त्री)—(क) सन् १९५३-५४ में कोई मामला इस एक्ट के अन्तर्गत दायर नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि इस संबन्ध में मामले पेश किये गये और मामले पेश होने पर संबन्धित यूनियन के अधिकारियों को सूचना भी दी गई।

श्री रामकरण जोशी—भीलवाड़ा पॉवर हाउस से एक मांग आई थी उसको सुपरिन्टेन्डेन्ट पॉवर हाउस भीलवाड़ा को पेश कर दिया गया उन्होंने अपनी सिफारिश के साथ चीफ इन्जीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट के पास भेज दिया गया और इस विभाग से जो सूचना प्राप्त हुई है उससे ऐसा ज्ञात हुआ है कि उनकी मांगें करीब-करीब पूरी हो चुकी हैं।

श्री चान्दमल मेहता—क्या किशनगढ़ पॉवर हाउस की कोई शिकायत नहीं आई ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री चान्दमल मेहता—यूनियन को जो पत्र लेबर विभाग द्वारा दिया गया क्या उसे गलत समझा जाय ?

Page No.6

श्री रामकरण जोशी—यह बताने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री चान्दमल मेहता--क्या ये दोनों एक्ट सरकारी विभाग द्वारा संचालित उद्योगों पर भी लागू हैं ?

श्री रामकरण जोशी—कायदे सब के ऊपर एक सार (एक समान) लागू होते हैं।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि लेबर विभाग से जितने भी पत्र-व्यवहार होता है उसमें इस प्रकार की बातें लिखी जाती हैं कि सरकारी विभाग पर ये एक्ट लागू नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री इस तरह की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कितने मामले हैं जिनमें, जैसा कि मैंने ऊपर कहा, वैसी जानकारी भेजी गई और कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री रामकरण जोशी—आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गत महीने में यहाँ त्रिदलीय श्रम सम्मेलन हुआ था उसमें यह बात साफ तौर से कही गई थी कि कायदे-कानून जितने भी हैं, जो प्राइवेट उद्योगों पर लागू होते हैं सरकारी विभागों पर भी उसका अमल होगा। वे सब जगह के लिये लागू होंगे। उसमें माननीय सदस्य भी एक रिप्रेजेन्टेटिव थे।

प्रश्न संख्या ६७५

राजस्थान सरकार में ४००० से कम आबादी वाली नगरपालिकायें तथा उनमें से कुछ को भंग करना

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. राजस्थान सरकार में ४००० से कम आबादी वाली कितनी नगरपालिकायें हैं और उनके नाम क्या हैं ?

२. इन नगरपालिकाओं में से किन-किन नगरपालिकाओं को भंग करने के नोटिस राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए हैं ?

३. क्या यह सही है कि सरवाड़ ग्राम की ४० साल पुरानी नगरपालिका, जिसकी वर्तमान जन-संख्या करीब ६००० है, को भंग करने का नोटिस दिया गया है ?

४. यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—१. ११; जिनके नाम निम्नलिखित हैं—

Page No.7

[श्री रामकरण जोशी]

जोबनेर, बसेरी, हिन्दूमालकोट, गजसिंहपुर, अनूपगढ़, सांगरिया, कोटरा, खेरवाड़ा, गलियाकोट, केसोरायपाटन व गंगधार।

२. अनूपगढ़, गजसिंहपुर, हिन्दूमलकोट, केसोरायपाटन, कोटरा, खेरवाड़ा, बसेरी और गंगधार।

३. जी हाँ। वहाँ के लोगों के आवेदन पर ऐसा हुआ है। इस नगरपालिका की जनसंख्या तो ५००० से अधिक है किन्तु वह एक्ट की धारा ५३ में दिये कर्त्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ है। अतः लोगों की राय जानने के लिए उक्त नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस विषय में आई हुई आपत्तियाँ विचाराधीन हैं।

४. क्योंकि नगरपालिका साधनाभाव से एक्ट की धारा ५३ के अनुसार अपने कर्त्तव्य पालन करने में असमर्थ है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सारवाड़ के लोगों ने सरकार द्वारा नगरपालिका के भंग करने का विरोध किया है ?

श्री रामकरण जोशी—इस सम्बन्ध में जो भी लोगों के विचार आये हैं सरकार के विचाराधीन है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या उन्होने विरोध किया है, यह मैं जानना चाहता हूँ ?

श्री रामकरण जोशी—कुछ ने विरोध किया और कुछ ने स्वागत भी किया: ये सब बातें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री चाँदमल मेहता—स्वागत करने वालों में कोन-कौन हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इसके लिए अलग से सवाल पूछिए।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—स्वागत करने वाले और विरोध करने वालों की परेंन्टेज क्या है ?

श्री रामकरण जोशी—परेंन्टेज के आधार पर ही सरकार विचार कर रही है।

Page No.8

प्रश्न संख्या ६७६

बीकानेर के पशु चिकित्सालय में धूप इत्यादि से ऊँटों को बचाने की व्यवस्था

श्री प्रभुदयाल—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या बीकानेर के पशु चिकित्सालय में ऊटों को धूप, वारिश से बचाने के लिए कोई छप्पर वगैरह की व्यवस्था है ?

(ख) अगर नहीं, तो क्या सरकार इसे जरूरी नहीं समझती है ?

(ग) क्या यह सही है कि पुरानी स्टेट के वक्त में छप्पर था ?

(घ) क्या सरकार पशुओं को धूप से बचाना उपयुक्त नहीं समझती है ? अगर हाँ, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) बीकानेर में पशु चिकित्सालय में ऊँटों के लिए धूप व वारिश से बचाने के लिए छप्पर वगैरह की व्यवस्था नहीं है।

(ख) धूप और वर्षा से बचाव के लिए छप्पर का होना जरूरी है।

(ग) हाँ।

(घ) हाँ, छप्पर बनवाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। जिन अफसरान की लापरवाही से छप्पर अभी तक नहीं लगाया गया उनके विरुद्ध जाँच की जावेगी और मुनासिब कार्यवाही की जावेगी।

श्री प्रभुदयाल—कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ठीक तारीख तो बता नहीं सकता, किन्तु जितना जल्दी होगा कार्यवाही की जायगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—बीकानेर डिवीजन में जितने ऊंट हैं उन सबके लिए छप्पर का इन्तजाम किया जायगा या जो अस्पताल में आयेंगे उन्हीं के लिए छप्पर का इन्तजाम किया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अस्पताल में आयेंगे उन्हीं के लिए व्यवस्था की जायगी।

Page No.9

प्रश्न संख्या ६७७

प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल के अध्यापकों का डिप्टी इन्सपेक्टर के कार्यालय में वेतन लेने के लिए जाना

श्री चाँदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के अध्यापकों को तनख्वाह लेने के लिये डिप्टी इन्स्पेक्टर के दफ्तर में जाना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या अध्यापको को इसका सफर खर्च व दैनिक भत्ता दिया जाता है ?

श्री भोलानाथ—(क) नहीं।

(ख) यदि पे सेन्टर (वेतन केन्द्र) संबन्धित व्यक्ति के निवास स्थान से पाँच मील से अधिक दूरी पर हो तो सफर खर्च और दैनिक भत्ता दिया जाता है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह जवाब दिया जा रहा है, वह सही है या यह बात है कि कहीं भी इस प्रकार भत्ता नहीं दिया जा रहा है ? क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि कहाँ-कहाँ पर इस प्रकार का भत्ता दिया गया ?

श्री भोलानाथ—पाँच मील की दूरी के पे सेन्टर पर यदि अध्यापक लोग पे लेने के लिये जाते होंगे तो जरूर मिलता है।

श्री चांदमल मेहता—पाँच मील की दूरी पर कितने पे सेन्टर हैं, बतला दीजिये ?

श्री भोलानाथ—राजस्थान भर में करीब २०० तहसीलें हैं और उसी प्रकार २०० ही पे सेन्टर होंगे जो कि पांच मील की दूरी पर हैं।

श्री चाँदमल मेहता—मिसाल की तौर पर दो चार के नाम तो बताने की कृपा कीजियेगा ?

श्री श्रीदास गोयल—क्या भविष्य में आप ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि पाँच मील से जो सेन्टर ज्यादा दूरी पर हों वहाँ भत्ता मिलेगा ?

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि इस तरह से जो तनख्वाह लेने जाते हैं उनके साथ किसी प्रकार की गार्ड नहीं जाती तो वे रकम के जिम्मेदार हो सकते ।

श्री भोलानाथ—ऐसे अध्यापक जो तनख्वाह लेने जाते हैं उनके साथ कुछ चपरासी भेजे जाते हैं, ताकि वे सुरक्षा पूर्वक तनख्वाह ला सकें। ज्यादा खतरा हो तो पुलिस विभाग से प्रार्थना की जाती है।

श्री चाँदमल मेहता—जो चपरासी या पुलिस वाले साथ जाते हैं उनको क्या भत्ता दिया जाता है?

श्री भोलानाथ—सरकारी नियमानुसार जो जाते हैं उनको भत्ता मिलता ही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में सीकर डिस्ट्रिक्ट में इसी साल एक अध्यापक को रास्ते में लूट लिया गया था और वह रुपया उसकी तनख्वाह से वसूल किया गया?

श्री भोलानाथ—वह तो एन्क्वायरी हुई होगी जिससे साबित हुआ होगा कि किसका कसूर था और कौन जिम्मेदार था?

श्री चाँदमल मेहता—तो क्या इस तरह लूटे जाने की हालत में मास्टरों को ही जिम्मेदार करार देना और सरकार को नहीं; तो क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार उनकी तनख्वाह स्वयं उनके स्थान तक पहुँचाए?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६७८

राजस्थान राज्य की सेवा में कार्य करने वाले अध्यापकों द्वारा किसी परीक्षा में बैठने के लिए शासकीय आज्ञा प्राप्त करना

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य की सेवा में काम करने वाले अध्यापकगण बिना सरकार की आज्ञा के किसी परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं?

(२) यदि हाँ, तो यह बतलाने की कृपा करें कि जयपुर जिले में ५३-५४ के वर्ष में कितने अध्यापकों ने परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन-पत्र दिये और कितने अस्वीकार कर दिये गये?

(३) महाराजा मिडिल स्कूल किशनगढ़ के कितने अध्यपाकों ने परीक्षाओं में बैठने के लिये आवेदनपत्र दाखिल किये और उनमें से कितनों को आज्ञा प्रदान की गई? जिनको आज्ञा प्रदान की गई उनमें से स्थायी कितने हैं और अस्थायी कितने हैं?

श्री भोलानाथ—(१) हां, यह सही है।

(२) जयपुर जिले में ५३-५४ के वर्ष में जिन अध्यापकों ने परीक्षाओं में बैठने के लिए आवेदनपत्र दिये वह विवरण निम्न प्रकार दिया जाता है,

आवेदनपत्र जो आये—७३७

वे आवेदनपत्र जिन पर आज्ञा प्रदान की गई—३६४

वे आवेदन-पत्र जिन पर आज्ञा प्रदान नहीं की गई—३७३

(३) महाराजा मिडिल स्कूल किशनगढ़ के १५ अध्यापकों में से ४ अध्यापकों ने परीक्षा में बैठने के लिए अपने आवेदन-पत्र पेश किये जिनमें से ३ को आज्ञा दी गई और ये तीनों अध्यापक अस्थायी थे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो स्थायी अध्यापक थे उनको इसके लिए इन्कार कर दिया गया ?

श्री भोलानाथ—नहीं, चार के आवेदन-पत्र आये थे उनमें से तीन को स्वीकृति दी गई और एक को इन्कार किया गया। यह अध्यापक सन् ५३ में भी बैठा था। तो, इसलिए हर साल बराबर बैठने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिसकी एप्लीकेशन सात महीने पहले दाखिल हुई उसको इन्कार किया गया और जिसकी बाद में आई उसको स्वीकृति दे दी गई ?

श्री भोलानाथ—वही तो जवाब मैं दे चुका हूँ। वह सन् ५३ में भी बैठा था, इसलिए हर साल बार-बार इजाजत नहीं दी जाती।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस तरह के स्वीकृति मिलने या न मिलने के कोई रूल्स सरकार ने बना रक्खे हैं ?

श्री भोलानाथ—जी हाँ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि तीन अध्यापकों को स्वीकृति दे दी गई और चौथे को नहीं दी गई। इससे एक दूसरे आदमी को परीक्षा में बैठने से वंचित रहना पड़ा ?

श्री भोलानाथ—नहीं बैठे होंगे तो नुकसान उठाया होगा।

श्री अध्यक्ष (श्री चाँदमल को सम्बोधित करते हुए)—The Hon'ble Member is giving information rather than seeking.

Page No.12

कु० श्री जसवन्तसिंह—जवाब से ऐसा प्रतीत हुआ कि ५० प्रतिशत अध्यापकों को आज्ञा नहीं दी गई परीक्षाओं में बैठने के लिए, इसका क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—५० परसेन्ट नहीं । चार में से तीन को स्वीकृति दी गई है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—टोटल में से। आपने ऐसा कहा कि लगभग ३७५ को, लगभग सात सौ में से आज्ञा नहीं दी गई । इतनी तादाद में अध्यापकों को परीक्षा में बैठने की आज्ञा न देने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—यह नियम है कि २० प्रतिशत से अधिक को बैठने की इजाजत नहीं दी जाती । इसके अनुसार जितनी एप्लीकेशन्स आई वे स्वीकार की गई और इस तरह से जो रूल के अनुसार पाई गई उनमें स्वीकृति दी गई।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अब यदि एक संस्था से दस अध्यापकों ने आज्ञा के लिए प्रार्थनापत्र दिए तो उनमें से किनको आज्ञा देनी चाहिये, इसका क्या आधार है ?

श्री भोलानाथ—इसके लिए भी नियम है कि जिसका आवेदन-पत्र पहले प्रस्तुत होता है, वह भी देखा जाता है व पहले इम्तिहान दे चुका है अथवा नहीं, इसका भी विचार किया जाता है। कब सर्विस जोइन की है, कितनी सर्विस है एक ही संस्था से कितनों ने दे दी है, तो इन सब बातों पर विचार करके २० प्रतिशत लोगों को स्वीकृति दी जाती है ?

श्री रामदयाल उपाध्याय—विद्याध्ययन करने की रोक का सरकार का कार्य क्या भारत के संविधान के विपरीत नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार यह जरूरी समझती है कि २० पर्सेन्ट को ही यह इजाजत दी जावे, इससे अधिक को शिक्षाध्यन के काम की इजाजत नहीं दी जा सकती ?

श्री अध्यक्ष—No expression of opinion.

श्री श्रीदास गोयल—This was the sense of the reply, Sir.

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ६७६

सवाई माधोपुर जिले में जागीरदारों पर सेस का रुपया शेष

श्री वीरेन्द्रसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

Page No.13

[श्री वीरेन्द्रसिंह]

(क) सवाई माधोपुर जिले में जागीरदारों पर सेस का कितना रुपया बाकी है।

(ख) सहायता का कितना रुपया बाकी है ?

(ग) किस-किस जागीरदार पर सेस और सहायता का कितना रुपया बकाया है ?

(घ) बकाया रुपये की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) रु० ६५,०००.

(ख) रु० १,६५,००० ।

(ग) निम्नलिखित जागीरदारों पर सैस व सहायता का रुपया बाकी है—

		सैस	सहायता
१.	गोबिन्द देवजी	रु० १,०००	रु० ४,०००
२.	गल्ताजी	=	रु० ५,०००
३.	चौथ का बरवाड़ा	रु० ११,८००	रु० २२,०००
४.	ईसरदा	रु० ८,०००	रु० २४,०००
५.	सिवाड़	रु० ५,०००	रु० ३,०००
६.	मानगढ़	रु० १,०००	रु० २०,०००
७.	भगवतगढ़	रु० १०,०००	रु० ५०,०००
८.	बपैन	रु० ३,०००	रु० ५,०००
९.	गुढाचन्द्रजी	रु० ५,०००	रु० ८,०००
१०.	सूरोठ	=	रु० ५,०००
११.	बरनाला	रु० ३,०००	रु० ४,०००
१२.	धूला	रु० ५,०००	रु० ६,०००
१३.	पदमपुरा	रु० २,०००	रु० ५,०००
१४.	तालखेड़ी	रु० १,५००	रु० ३,५००
१५.	बालेर	रु० २,०००	रु० ५,०००
१६.	सेहर	रु० ३,०००	रु० ४,०००

(घ) सरकार के द्वारा बकाया की रकम को चार किश्तों में वसूल करने के आदेश दिए जा चुके हैं और उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—गोविन्ददेवजी कौन से जागीरदार हैं ?

श्री रामकरण जोशी—जयपुर में एक मन्दिर है गोविन्ददेवजी का।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैंने समझा यह भी कोई नई जागीरदारी है ?

श्री रामकरण जोशी—यह सबसे पुरानी जागीरदारी है।

श्री श्रीदाम गोयल—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सैस का रुपया जो जागीरदारों में बाकी है वह रकम उनके पास अमानत है या वे उसे अपने निजी काम में ले रहे हैं ?

श्री रामकरण जोशी—किश्तों में लेने न लेने की बात पर जब विचार हुआ उस वक्त इस पर भी आदेश सरकार की ओर से दे दिये गये हैं कि जिन जागीरदारों ने सैस की रकम किसानों से वसूल कर ली है या जिसने नहीं की है इसकी एक सूची सरकार को पहुँचाई जाय और इसकी जाँच के बाद ही इसका पता लग जावेगा कि अमानत बकाया रह गई है या इसको वे वसूल नहीं कर सके हैं। अगर जाँच से यह मालूम हो जावे कि हासिल कर लिया है और देते नहीं है सरकार को तो इस पर इस मुजब कार्यवाही की जावेगी।

श्री श्रीदास गोयल—यह सैस की रकम वसूल करते समय कलेक्टर, तहसीलदार आदि ने क्या सरकार को इस तरह की इत्तला नहीं दी कि जागीरदार लोग इसे वसूल कर चुके हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इस सवाल पर जब बातचीत हुई तब जवाब मिला कि वे डेफीनिट नहीं थे इस बारे में कि ली गई या नहीं। वे इसकी जाँच अब कर रहे हैं। जिन्होंने जमा नहीं कराई है और वसूल कर ली है, और जिन्होंने वसूल नहीं की है उन सब की लिस्ट वे दे देंगे।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस जाँच के सिलसिले में ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं आई कि सैस वसूल कर लिया गया और अपने पास रख लिया ?

श्री रामकरण जोशी—अब तक मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई ।

श्री वीरेन्द्रसिंह—किश्तें करने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—जरा साफ कहिये, सुनाई में नहीं आ रहा है।

श्री श्रीदास गोयल—वे कह रहे हैं कि किश्तों में वसूली का आदेश देने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—One Hon'ble Member at a time.

Page No.15

श्री श्रीदास गोयल—I am repeating his question.

श्री अध्यक्ष—No. I do not want any repeaters.

श्री रामकरण जोशी— बकाया ज्यादा हो जाता है तो वसूल करने में इससे सुविधा होती है इसलिए।

श्री वीरेन्द्रसिंह—इतना जो बकाया रहा इसका कारण क्या है ?

श्री रामकरण जोशी—उस वक्त जागीरदारों ने रिट कर दी थी और मुकद्दमा चल रहा था। उसमें जागीरदार यह सोच रहे थे कि यह रकम नहीं देनी पड़ेगी। इसका फैसला देरी में हुआ और इसके बाद रकम इस तरह से चढ़ गई। अब एक साथ इतनी अदा नहीं कर सकते तो इसलिए किश्तों में कर दी गई है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उन्होंने रिट कर दी थी तो फिर वसूली के वक्त भी, फैसला हो जाने पर, किश्तें करा लीं तो इससे यह जाहिर नहीं होता कि उन्होंने इस तरह से नावाजिब फायदा उठाया या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—मुकद्दमे बाजी करने से रोक कौन सकता है। फायदे और नुकसान की बात तो ......

श्री श्रीदास गोयल—मुकद्दमे का निर्णय सरकार के पक्ष में होने के बाद किश्त करने की सहूलियत क्यों दी गई ?

श्री रामकरण जोशी—बकाया सरकार वसूल करने के लिए जो तरीके अमल में आते रहते हैं। सरकार उनके मुताबिक बकाया वसूल करती है।

श्री श्रीदास गोयल—लोगों ने अपने ही रोंग (गलती) से बकाया कायम करवाया और फिर किश्तों की मांग की तो सरकार ने मन्जूर क्यों की ?

श्री रामकरण जोशी—फिर भी सरकार उनको बरबाद नहीं कर सकती। सरकार को इसका ध्यान रखना पड़ता है।

श्री श्रीदास गोयल—ठिकाना ईसरदा की हालत इतनी अच्छी है कि उनके पास ५० लाख हार्ड केश हैं, उनसे भी किश्तें की गई हैं।

श्री रामकरण जोशी—अगर माननीय सदस्य ऐसी जानकारी लिखकर देंगे तो उनसे वसूल करने की कार्यवाही की जायगी।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं समझती है कि स्वयं ऐसी जानकारी रखे, किश्त करते समय।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६८०

बीकानेर डिविजन और विशेषतया चूरू जिले में हरिजनों के बसने के लिए भूमि

श्री प्रभुदयाल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर डिवीजन और खासकर चूरू जिले के हरिजनों के पास बसने के लिये क्या जमीनें नहीं हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि चूरू शहर के हरिजन करीब नौ साल से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं लेकिन अब तक उन्हें जमीन नहीं दी गई ?

(ग) क्या उनकी आर्थिक दशा देखते हुए सरकार मुफ्त जमीनें देने को तैयार है ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री भोगीलाल पंडया—(क) बसने के लिए जमीनें हैं।

(ख) जी नहीं। सिर्फ एक मिसल कलेक्टरी चूरू में पेंडिंग है वह भी जमीन देने के संबन्ध में नहीं किन्तु जमीन का पट्टा देने के सम्बन्ध में है।

(ग) इस विषय में सरकार विचार करेगी।

एक माननीय सदस्य—यह विचार कब तक हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पंडया—असल में ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कब तक किया जायगा, तो तारीख बराबर निश्चित नहीं बताई जा सकती है और जल्दी करने का प्रयत्न किया जायगा।

एक माननीय सदस्य—उसके लिए २ साल से नहीं हो रहा है तो कब तक हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पंडया—पिछले २ साल से तो नहीं है बात यह है कि उस जमीन पर बसने के लिए मकान बन गये लेकिन पट्टा बनाने के लिए उनको फीस देनी पड़ती है मामूली सी, लेकिन हरिजन फीस जमा नहीं कर रहे हैं। इसलिए वह पेंडिंग है। और कोई कारण नहीं है।

एक माननीय सदस्य—तो क्या यह समझा जाय कि सरकार हरिजनों की तरफ ध्यान नहीं देती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० ६८१

राजस्थान में वेजिटेबल घी पर रोक

श्री सुगनचन्द जैन—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान में वेजिटेबिल घृत की रोक है ? यदि हां, तो हजारों की तादाद में पीपे बाजार में कहां से आकर बिक रहे हैं ?

(ख) क्या राजस्थान सरकार लगे हुए प्रतिबन्ध को उठाने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो किस कारण से यह प्रतिबन्ध नहीं उठाया जाता ?

श्री भोलानाथ—(पृथक राजस्व मन्त्री)—(क) राजस्थान कस्टम्स टेरिफ (आइटम संख्या ३४२ अ:) के अन्तर्गत वेजीटेबल आयल व वेजिटेबल घी व सब प्रकार के जमाये हुए तेलों के राजस्थान में आयात होने पर प्रतिबन्ध है। राजस्थान सरकार से खुले आम बेचने की इजाजत नहीं है।

(ख) अभी इस संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है। यह प्रतिबंध राज्य के घी के व्यवसाय एवं उसकी शुद्धता के सुरक्षण के लिये लगाया गया था।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या राजस्थान सरकार ने यह पता नहीं लगवाया कि वेजिटेबिल घी तन्दुरुस्ती के लिए हानिकारक है ?

श्री भोलानाथ—राजस्थान सरकार को यह भूतपूर्व रियासतों से विरासत में मिला है और जो कानून है उस पर अमल किया जा रहा है। इसलिए पहली सरकारों ने अक्लमन्दी से ही इस बात को सोचा होगा जिस पर आज तक पालन किया जा रहा है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या दूसरी जो प्रान्तीय सरकारें हैं 'ए' और 'बी' क्लास की, वहां वेजिटेबल घी, पर प्रतिबन्ध है ?

श्री भोलानाथ—यह तो कोई पार्लियामेंट में सवाल पूछिये तो जवाब दिया जायगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह पार्लियामेंट का सवाल कैसे हुआ...

श्री अध्यक्ष—It does not relate to this House.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—This relates to this House क्योंकि राजस्थान सरकार ने ऐसा करने से पहले सोचा होगा कि वहाँ वेजीटेबिल घी का प्रबन्ध है या नहीं। पास की जो 'ए' और 'बी' क्लास की गवर्नमेंट्स हैं या सेन्ट्रल गवर्नमेंट है वहाँ प्रतिबन्ध नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय ने इस बात की जाँच करवाई होगी कि दूसरी जगहों पर प्रतिबन्ध है या अपने ही यहाँ ?

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member is equally conversant with this knowledge as the Hon'ble Member on the Treasury Benches is.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Yes.

(हंसी)

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने की और यह जानने की कोशिश की कि पार्ट 'ए' और 'बी' में कहाँ व्यवस्था है इस घी के बारे में ?

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार की जानकारी में है कि वेजीटेबिल घी बाजार में बिक रहा है ?

श्री भोलानाथ—राजस्थान सरकार ने खुले आम बेचने की इजाजत नहीं दी है और अगर वह बेचते हैं तो उनको सजा दी जाती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—खुले आम बेचने की इजाजत नही है, लेकिन ब्लेक मारकेट में बेचने की तो इजाजत है ?

श्री भोलानाथ—ब्लेक मारकेटिंग चोरी है और चोरी करने वाले को सजा दी जाती है।

एक माननीय सदस्य—क्या सरकार बतायेगी कि वेजीटेबिल आॅइल को रखना और बेचना जुर्म नहीं है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या सरकार को पता है कि इस बारे में पहले भी असेम्बली में प्रश्न आ चुके हैं कि वेजिटेबल आॅइल का बोर्ड लगाकर खुले आम बिक रहा है।

श्री भोलानाथ—सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—यह खुले आम बिक रहा है यह पहले भी पूछा गया था।

श्री भोलानाथ—मुझे पता नहीं है। किसी को खुले आम बेचने की इजाजत नहीं दी है।

श्री श्रीदास गोयल—जयपुर शहर में होटलों में जो खाना बनाया जाता है वह उसी घी का होता है, उसे रोका जाय।

श्री भोलानाथ—एडल्टरेशन एक्ट के मुताबिक यह म्युनिसिपेलिटीज़ का काम है।

श्री घीसीसिंह—क्या सरकार वेजीटेबिल घी नहीं खाती है ?

(हंसी)

श्री भवानी सहाय—माननीय मन्त्री महोदय के यहाँ किस घी का इस्तेमाल होता है ?

Page No.19

एक माननीय सदस्य—शुद्ध घी का, जो कि अलवर से आता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या सरकार के ध्यान में यह है कि यह "रखना" और "बेचना" जुर्म नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—It is a legal question. Ask for some information.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या सरकार को मालूम है कि जोधपुर में वेज टेबिल घी की वेगन की वेगने नित्य प्रति आ रही हैं।

श्री भोलानाथ—क्या ?

श्री अध्यक्ष—जोधपुर में वेजीटेबिल घी की वेगन्स की वेगन्स नित्य प्रति आती हैं, ऐसा सरकार को मालूम है ?

श्री भोलानाथ—ऐसी गलती करने वालों को सजा दी जाती है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जब वेगन्स की वेगन्स आती हैं तो क्या यह गलती नहीं है ? यह ओपनली सब को मालूम है और ओपनली बाजार में बिकता है और सरकार यह कहे कि सरकार को यह मालूम नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास—इस सम्बन्ध में थोड़ा कन्फ्यूजन है। जो डिब्बे आते हैं वह जमाये हुए खोपरे के तेल (cocogen) के हैं, वे हाइड्रोजिनेटेड ऑइल के नहीं है। वह वेजिटेबिल घी में शुमार नहीं हैं।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या सरकार की ओर से किसी को ६ हजार टीन वेजिटेबिल घी की मिली है ?

श्री भोलानाथ—किसको ? पर्टीक्युलर नाम बताइये ?

श्री रामदयाल उपाध्याय—किसी बिस्कुट फेक्ट्री को।

श्री भोलानाथ—हां, इण्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स की राय थी कि बिस्कुट फेक्ट्री को इस तरह के वेजिटेबल घी से फायदा होता है और अच्छे बिस्कुट तैयार होते हैं, इसलिए इजाजत दी गई है। बाकी उन पर सख्त कन्ट्रोल किया हुआ है। वे लोक में रहते हैं और इजाजत से दिये जाते हैं।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या वह बिस्कुट राजस्थान वाले खाते हैं या बाहर वाले भी खाते हैं ?

श्री भोलानाथ—यह एक इन्डस्ट्री है। खपत बाहर होती है तो बाहर जाते हैं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—दूसरी जो इन्डस्ट्रीज है बिस्कुट की, उनको भी सरकार इस तरह के परमिट देगी।

श्री भोलानाथ—ऐसी दो फेक्ट्रियों को इजाजत दी गई है और तीसरी भी आयगी तो सरकार विचार करेगी।

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या वेजिटेबल घी के खाने से राजस्थान के मन्त्री और राजस्थान के लोग नपुंसक हो गये हैं ? (हंसी)

श्री भोलानाथ—हेल्थ मिनिस्टर से पूछा जाय और इसकी जाँच करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष—At least the Hon'ble Member putting the question must be examined.

श्री श्रीदास गोयल—One question more.

श्री देवीसिंह—क्या राजस्थान सरकार राजस्थान में वेजिटेबल घी को खुला करने का विचार कर रही है ?

श्री भोलानाथ—अभी विचार नहीं हुआ है।

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान में इस पर पाबन्दी है तो कितने चालान हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष—it's a separate question.

श्री भोलानाथ—अलग से पूछिये तो अलग से जवाब दिया जायगा।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—क्या वेजिटेल घी आना कानूनी अपराध है ?

श्री भोलानाथ—आना जरूर अपराध है, जाँच हो चुकी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या यह विधान के विपरीत नहीं है ?

श्री भोलानाथ और श्री जयनारायण व्यास—यह प्रि-विधान है ?

श्री अध्यक्ष—This was before the Constitution came into force.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जोधपुर में जो घी आता है वह एक प्रकार का जमाया हुआ आॅइल है। क्या आपको यह मालुम है कि वह घी के जैसा ही है और घी के ही काम आ रहा है।

Page No.21

श्री जयनारायण व्यास—जमा हुआ खोपरे का ऑयल अलग है और यह हाइड्रोजेनेटेड ऑइल है।

श्री संतोषसिंह—इसमें हल्का रंग क्यों नहीं दे दिया जाय कि घी में नहीं मिलाया जा जा सके ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है।

श्री श्रीदास गोयल—जयपुर के बड़े होटलों में क्या यह सही है कि वेजिटेबिल घी का छिपा हुआ स्टाक रहता है।

श्री भोलानाथ—सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है। यह म्युनिसिपलेटी के हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है कि वह होटलों की जाँच करे और एडल्ट्रेशन करते हैं तो उनको सजा दे।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार को यह मालूम करा दिया जाय कि कहीं वेजिटेबिल घी का स्टाक छिपा हुआ है तो क्या वह छापामारी का प्रबन्ध करेगी ?

श्री भोलानाथ—हाँ जरूर करेगी।

श्री श्रीदास गोयल—जिन होटलों में ऐसे स्टाक जमा हैं उसके आधार पर क्या व्यवस्था है ?

एक माननीय सदस्य—क्या सरकार को मालूम है कि गवर्नमेंट होस्टल में वेजिटेबिल घी खाते माननीय सदस्यों को गला खराब हो गया है।

श्री भोलानाथ—माननीय सदस्य का गला ही नहीं और भी कुछ खराब हो सकता है।

श्री भवानी सहाय—फैक्ट्री में जो टीन आते हैं वह बगैर खुले ही किसी दूसरी जगह चले जाते हैं क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६८२

कस्टम्स विभाग में जमा होने वाली रकम की वापसी

श्री चाँदमल मेहता—क्या पृथक् राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

Page No.22

[श्री चाँदमल मेहता]

(क) क्या यह सही है कि कस्टम डिपार्टमेंट में जो रकम डिपोज़िट के रूप में जमा कराई जाती है उसके वापिस लौटाने में कई वर्ष लग जाते हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि राजस्थान इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन किशनगढ़ द्वारा २३६) रु० तारीख ६-६-४६ को अलवर (नोगांव) में डिपाजिट के रूप में जमा कराये जो रिफन्ड होने की आशा होने पर भी नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)—(क) यह ठीक नहीं है। डिपोज़िट में कोई रकम नहीं है।

(ख) यह सही नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह है कि जो जानकारी मंत्री महोदय ने दी है वह बिल्कुल गलत है। किशनगढ़ सब डिवीजन में ही हजारों रुपये वहां जमा हुए हैं।

श्री भोलानाथ--नहीं। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने गलतफहमी से सवाल किया है। खासतौर से वे उसके बारे में सीमित रहने की कृपा करें तो ठीक होगा। आपने लिखा है कि "इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन किशनगढ़ द्वारा......"

श्री चाँदमल मेहता—पहले 'क' को पढ़ लीजिये।

श्री भोलानाथ—'क' में आपने यह पूछा है कि "जो रकम डिपोज़िट के रूप में जमा कराई जाती है उसके वापिस लौटाने में कई वर्ष लग जाते हैं।" तो वापसी विभाग के नियमानुसार होती है।

श्री चाँदमल मेहता--आपने अभी यह कहा कि डिपोज़िट के रूप में रखे हैं और इसमें कई वर्ष लग जाते हैं। नियमानुसार आप कितने वर्ष तक रखना वाजिब मानते हैं ?

श्री भोलानाथ--वर्ष का कोई सवाल नहीं है। रुपये डिपोज़िट के तौर पर जमा कर लेते हैं, उसके बाद पार्टी कन्सर्न्ड रसीद आदि दिखाकर नियमानुसार कार्यवाही करके रुपये वापिस ले लेती है।

श्री चाँदमल मेहता--क्या आपके ध्यान में यह बात है कि सन् ५० से ५४ के बीच में २५, ३० आदमियों की रकम जमा है और उनको वापिस रकम नहीं मिली है ?

श्री भोलानाथ--ऐसा कोई व्यक्तिगत केस सामने लावें तब पता चले।

Page No.23

श्री चाँदमल मेहता—राजस्थान इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का केस मैंने बताया है। उसको पैसा वापिस नहीं मिला है। आपने जो जवाब दिया है वह गलत है (हियर, हियर)।

श्री भोलानाथ--ऐसी कोई बात नहीं। उनका कोई डिपोज़िट जमा नहीं है। उनसे कस्टम्स ड्यूटी के रुपये वसूल किये थे और बाद में उन्होंने कहा कि मैं माल किशनगढ़ ले जा रहा हूँ जहां ड्यूटी नहीं ली जाती और जो फ्री एरिया है। इसके बाद में रिफन्ड करने के लिये कह दिया गया। ३१३) रुपये सितम्बर, ५२ में लिये गये थे। रुपये रिफन्ड करवाने की कार्यवाही करने के लिये उनको कहा गया था।

श्री चाँदमल मेहता--क्या आपकी जानकारी में यह बात है कि सन् ५२ के बाद में रुपये नहीं देने के सम्बन्ध में राजस्थान इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के प्रति सरकार ने कोई गफलत नहीं की ?

श्री भोलानाथ—वे खुद जाकर रुपये नहीं लाते। इसमें सरकार की गफलत का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता--क्या आपकी जानकारी में है कि पेमेन्ट दिया जाता है इम्पीरियल बैंक की मारफत और बैंक सिर्फ खातेवाले को ही पेमेन्ट करती है ?

श्री भोलानाथ--ट्रेजरी अलवर को भी रुपये रिफन्ड करने के लिये हुक्म दिया गया है।

श्री चाँदमल मेहता--क्या इस तरह की सूचना राजस्थान इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को भी दी गई है ?

श्री भोलानाथ--इस फर्म को सूचना दे दी गई है। लेकिन यह खुद रुपये ले नहीं जाते हैं।

कु० **श्री जसवन्तसिंह**—माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि सरकार रुपये देने के लिये तैयार है और फर्म खुद रुपये नहीं ले जाती तो क्या सरकार की जानकारी में ऐसे भी केसेज़ हैं जिनमें सरकार रुपये देने को कहे और वे लोग रुपये नहीं ले जावें ?

श्री भोलानाथ--जिन डोकुमेन्ट्स के जरिये रुपये जमा कराये वे, डोकुमेन्ट्स और रुपयों की रसीद आदि पेश करने पर ही रुपये रिफन्डस मिल सकते हैं। शायद रसीद पेश नहीं की होगी तो रुपये नहीं मिले होंगे।

श्री चाँदमल मेहता—क्या मन्त्रीजी इस बात की जांच करवायेंगे कि जब तक किशनगढ़ में कस्टम की छूट रही तब तक ऐसे कितने केसेज़ पेन्डिंग हैं जिनमें इस तरह की रकम जमा है और रिफन्ड नहीं की गई है ?

श्री अध्यक्ष—It is a separate question. Next.

प्रश्न संख्या १८३

राजस्थान में कस्टम ड्यूटी हटने की अन्तिम तारीख

श्री घासीराम—क्या पृथक् राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५४ में सरकार कस्टम ड्युटी खतम कर रही है या नहीं ?

(ख) कस्टम ड्युटी एक दम हटायगी या धीरे-धीरे ?

(ग) कस्टम ड्युटी खतम करने की आखिरी तारीख क्या सरकार बतलायगी ?

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)--(क) सन् १९५४ में सेल्स टेक्स (Sales Tax) के द्वारा कस्टम को रिप्लेस (Replace) करने का सरकार ने निर्णय लिया है। यह बिल (Bill) सदन के विचाराधीन है।

(ख) 'ख' का उत्तर 'क' में आ जाता है।

(ग) एफ. एफ. आइ. एग्रीमेन्ट के अनुसार ३१-३-५५.

प्रश्न संख्या १८४

जयपुर शहर में १-१-५४ से ३१-३-५४ तक यातायात नियम भंग होने के मामले

श्री गोपीलाल यादव—Will the Minister for Transport be pleased to state :—

(a) How many cases were apprehended of violating transport rules in Jaipur City from 1-1-1954 to 31-3-54 ?

(b) How many of them were challaned ?

(c) The names of those offenders who were not challaned may kindly be given with reasons thereof ?

श्री रामकरण जोशी--तारीख १-१-५४ से तारीख ३१-३-५४ तक ४२८ केसेज़ ऐसे सरकार के ध्यान में आये उनमें से ३५६ का चालान किया गया और बचे हुए ७२ का चालान नहीं हुआ।

(ख) उनके नाम ये हैं :

१. श्री कन्हैयालाल वल्द चौथमल ट्रक नं० आर. जे. एल. १४२६

[श्री रामकरण जोशी]

२. श्री जगनसिंह पुत्र नारायणसिंह लौरी आर. जे. एल. १२३७
३. श्री ओमप्रकाश पुत्र रामसिंह ट्रक नं० आर. जे. एल. १४२३
४. श्री सुखराम पुत्र शंकरदास ट्रक आर. जे. एल. १४०२
५. श्री मोहम्मद इब्राहिम वल्द जहांगीर बस आर. जे. एल. १०५०
६. श्री नूरमोहम्मद वल्द चाँद मुहम्मद बस १०५०
७. श्री मोतीराम वल्द प्रेमलाल बस आर. जे. एल. १३६६

श्री खेतसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय अध्यक्ष, इस तरह से हमारे क्वेश्चन कभी नहीं लिये जा सकेंगे। इस तरह की लिस्ट पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन्स आयेंगे ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—Your questions will be taken today. No point of Order.

श्री रामकरण जोशी—श्री मांगीलाल वल्द घनसिंह कार आर जे. क्यू. २५६ भूराराम वल्द जगतराम बस आर. जे. एल. २४६.........

श्री अध्यक्ष—कितनी बड़ी लिस्ट है?

श्री रामकरण जोशी—७२ नाम हैं।

श्री अध्यक्ष—I think the whole House is not interested in names.

श्री रामकरण जोशी—But the question Demands it.

श्री अध्यक्ष—It should be placed on the Table of the House.

श्री रामकरण जोशी—इस लिस्ट को मैं टेबल पर रख देता हूँ। इनका चालान नहीं किये जाने के निम्न कारण हैं :

५८ केसेज़ में से ५७ टेक्स वसूल करने के मामले के अन्तर्गत कम्पाउन्ड किये गये।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री कानसिंह—क्या मन्त्रीजी बतायेंगे कि इस लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं या नहीं जिन्होंने ट्रान्सपोर्ट कमेटी के मेम्बर होते हुए भी नाजायज फायदा उठाया।

श्री अध्यक्ष—आप स्वयं देखकर पता लगालें।

प्रश्न संख्या ६८५.

तारानगर, राजगढ़ तथा चूरू चार वर्ष से अकालग्रस्त क्षेत्र

श्री प्रभुदयाल—क्या अकाल सहायता मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तारानगर, राजगढ़, चूरू का इलाका करीब ४ साल से अकालग्रस्त रहा है ?

(ख) क्या यह सही है कि वहाँ का पानी बहुत खारा है ?

(ग) क्या सरकार वहाँ के हरिजनों को इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए सहायता देने को तैयार है ?

(घ) अगर हाँ, तो क्या उनकी आर्थिक दशा देखते हुए सरकार उन्हें जल्द से जल्द सहायता देने को तैयार है और उनकी गरीबी को देखते हुए उनसे श्रम माँग कर पूरी सहायता देगी ?

(ङ) अगर हाँ, तो कब तक ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) राजगढ़ और तारानगर तहसीलें सन् ५१, ५२, ५२-५३ व ५३-५४ में अभाव ग्रसित थीं। इस वर्ष भी राजगढ़ तहसील में २० गाँव व तारानगर तहसील के २५ गाँव अभाव घोषित किये गये हैं। चूरू तहसील ६० ५१-५२, ५२-५३, में अभाव ग्रसित थी, ५३-५४ व ५४-५५ में यह तहसील अभाव ग्रसित नहीं है।

(ख) राजगढ़ व तारानगर तहसीलों में पानी आमतौर पर खारा है, चूरू तहसील में पानी इन तहसीलों से कुछ अच्छा है।

(ग) हरिजनों के लिए पानी की व्यवस्था पर इन तहसीलों में लगभग ८५००) रुपया व्यय हुआ है।

(घ) आवश्यकतानुसार सहायता दी जा रही है और भविष्य में भी दी जावेगी।

(ङ) इस प्रश्न का उत्तर 'घ' में आ जाता है।

प्रश्न संख्या ६८६

राजस्थान में वेजिटेबिल घी के आयात को रोकने की अन्तिम तारीख

श्री घासीराम—क्या पृथक् राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री घासीराम]

(क) क्या वेजीटेबिल घी के राजस्थान में आने की पाबन्दी को सरकार उठा रही है ?

(ख) यदि उठा रही है तो कौन सी तारीख से ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

श्री भोलानाथ—इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या ६८१ में आ गया है।

प्रश्न सं० ६८७

अँग्रेजी शिक्षा की अपेक्षा कितना प्रतिशत शासन द्वारा संस्कृत शिक्षा पर व्यय

श्री सुगनचन्द जैन--क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार अंग्रेजी शिक्षा की अपेक्षा कितना संस्कृत शिक्षा के लिए खर्च कर रही है ?

(ख) राजस्थान की संस्कृत परीक्षाओं के पाठ्य-क्रम के विषय में जो तीन-चार वर्ष से लोगों का असन्तोष चल रहा है, उस विषय में शिक्षा विभाग ने अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया ?

(ग) क्या यह सही है कि गत वर्ष प्रवेशिका परीक्षा का परिणाम दस प्रतिशत से भी कम रहा है ? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है ?

(घ) जब संस्कृत की प्रवेशिका परीक्षा का पाठ्य-क्रम मेट्रिक की तरह सब विषयों से परिपूर्ण है, तो फिर सरकार प्रवेशिका-परीक्षा उत्तीर्ण लोगों को मेट्रिक को दी जाने वाली नौकरियाँ क्यों नहीं देती ? यही बात शास्त्री और आचार्य परीक्षा के विषय में भी है ?

(ङ) मेट्रिक आदि की तरह संस्कृत परीक्षाओं की भी सप्लीमेंटरी परीक्षा क्यों नहीं होती ?

(च) क्या संस्कृत विद्यार्थियों को अँग्रेजी शिक्षा संस्थाओं की तरह समान अनुपात से सरकारी सहायता मिलती है ?

(छ) जब कि ६ से ८ वें क्लास तक संस्कृत अनिवार्य विषय घोषित कर दिया गया है तो फिर क्यों नहीं सब स्कूलों में इसकी घोषणा का पालन कराया जाता है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) सरकार केवल अँग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिये कोई स्कूल नहीं चला रही है बल्कि ऐसे स्कूल व कॉलेज चला रही है जहाँ कि अंग्रेजी व हिन्दी

[श्री भोलानाथ]

भाषाओं के माध्यम से कला, विज्ञान, वाणिज्य और सामान्य ज्ञान के विविध विषय पढ़ाये जाते हैं। सरकार कुछ ऐसी पाठशालायें अवश्य चला रही है कि जिनमें संस्कृत प्रधान भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है और उक्त विषय भी हिन्दी के माध्यम से पढ़ाये जाते हैं। अंग्रेजी शिक्षा जैसी कोई प्रगति चालू नहीं है कि जिसका व्यय बताया जा सके और संस्कृत शिक्षा पर होने वाले खर्चे से उसकी तुलना की जा सके।

(ख) संस्कृत परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की पुनर्व्यवस्था के लिए सरकार ने सन् १९५१ में विशेषज्ञों की एक समिति बैठाई थी जिसकी सिफारिशों के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन किये गये थे। उसके पश्चात् वर्तमान वर्ष में राजस्थान संस्कृत सम्मेलन ने उस विषय में फिर विद्वानों की एक समिति बिठाई जिसकी रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) गतवर्ष प्रवेशिका परीक्षा का परिणाम २१.९ प्रतिशत था। यह परीक्षा-फल भी अपेक्षाकृत कम ही कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि नवीन पाठ्यक्रम से जिन सामान्य ज्ञान-सम्बन्धी विषयों का उन्मेष हुआ उनसे अध्यापकों और छात्रों का पूर्ण परिचय न हो सका और समुचित अध्यापन का प्रबन्ध भी गैर सरकारी संस्थाओं में सन्तोष जनक नहीं हो सका।

(घ) संस्कृत और हिन्दी परीक्षाओं को उस प्रकार की मान्यता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(ङ) संस्कृत शिक्षा के पाठ्यक्रम में पूरक परीक्षाओं की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऐसी परीक्षा नहीं होती, पर इस पाठ्यक्रम में ऐसी पूरक परीक्षाओं की व्यवस्था करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी।

(च) ग्रान्ट इन एड के मामले में संस्कृत प्रधान शिक्षा संस्थाओं और दूसरी शिक्षा संस्थाओं में कोई भेद नहीं किया जाता।

(छ) इस घोषणा का स्कूलों में पालन होता है।

प्रश्न सं० १८८

राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाने वली [मोटर] सर्विसें

श्री जवानसिंह—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान सरकार की कितनी सर्विसें कार्य कर रही हैं और कौन-कौन सी, कौन-कौन जिलों में ?

[श्री जवानसिंह]

(ख) क्या इसके अलावा भी सर्विसें नये सिरे से सरकार चलाना चाहती है ?

(ग) अगर हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर ?

(घ) क्या सरकार का यह निश्चय है कि सारे प्रान्त में केवल सरकार की ही सर्विसें चलाई जावें ?

(ङ) क्या सिरोही मोटर सर्विस के राज्यकर्मचारियों का एकीकरण हो गया है ?

(च) अगर नहीं, तो कब तक हो जावेगा ?

श्री रामकरण जोशी (यातायात मन्त्री)—(क) दो सर्विसेज़ काम कर रही हैं। सिरोही और टोंक जिलों में चल रही हैं।

(ख) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने इस बारे में आखिरी निर्णय नहीं दिया है।

(ङ) नहीं।

(च) यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री जवानसिंह—सिरोही मोटर सर्विस सरकार ने कब से अपने अधीन लिया है।

श्री रामकरण जोशी—आपने क्या फरमाया।

श्री अध्यक्ष--सिरोही मोटर सर्विस को कब से सरकार ने अपने अधीन में ले रखा है ?

श्री रामकरण जोशी--इसके उत्तर के लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जवानसिंह--तो, क्या मैं यह समझूं कि दो साल से सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले रखा है ?

श्री अध्यक्ष—No.

(विराम)

Any, other supplementary

श्री जवानसिंह—आपने यह बतलाया कि उनके एकीकरण का प्रश्न नहीं उठता है, इसका क्या कारण है।

श्री रामकरण जोशी—आपने क्या फरमाया ?

श्री अध्यक्ष—एकीकरण का प्रश्न नहीं उठता है, इसका क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने यह जवाब नहीं दिया है।

श्री जवानसिंह—अभी तो आपने यह कहा था ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने केवल 'नहीं' कहा था।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार यह विचार कर रही है कि इसका एकीकरण जल्दी से जल्दी हो ?

श्री रामकरण जोशी—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार ने राजस्थान मोटर एकीकरण की कोई योजना पहले से तैयार की है ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी कोई योजना सरकार के सामने नहीं है।

प्रश्न सं० ६८६

राजस्थान पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत चुनाओं के लिए सर्किल्स व वार्डस का निश्चयन

श्री जवानसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान पंचायत एक्ट के अन्तर्गत चुनाओं के लिए सर्किल व वार्ड क्या निश्चित हो गये हैं ?

(ख) अगर हाँ, तो उनकी एक प्रति सदन की मेज पर क्या सरकार रखने को तैयार है ?

(ग) अगर नहीं, तो ये कब तक तैयार हो जावेगी ?

(घ) क्या स्थानीय जनता की इच्छाओं को जानकर इन सर्किल और वार्ड को निश्चय

[श्री जवानसिंह]

किया गया है और हाँ, तो क्या व्यक्ति रूप से या दल की माँगों के आधार पर इनका निश्चित किया जाना तय पाया है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)--(क) जी हाँ, जयपुर व बीकानेर डिविजन की पंचायतों के सर्किल निश्चित हो चुके हैं व वार्ड निश्चित करने की कार्यवाही जारी है।

(ख) पंचायतों के क्षेत्रों की तालिका राजपत्र में प्रकाशित हो रही है।

(ग) एक माह के भीतर।

(घ) पंचायत क्षेत्रों का निर्माण स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किया गया है, व्यक्तिगत व दलगत माँगों के आधार पर नहीं।

श्री कानसिंह--क्या इस मामले के अन्दर पब्लिक के एतराज लिए जायेंगे ?

श्री रामकरण जोशी--नहीं, एतराज नहीं लिए जायेंगे।

श्री खेतसिंह--जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के पंचायत क्षेत्रों की लिस्टें कब तक तैयार की जाकर प्रकाशित की जायगी ?

श्री रामकरण जोशी--समय लगेगा।

श्री खेतसिंह--जयपुर और बीकानेर की लिस्टें तो आउट की जा चुकी हैं, जोधपुर के लिए ही समय क्यों लगेगा ?

श्री रामकरण जोशी--उनकी स्क्रुटिनी पहले हो चुकी है।

श्री खेतसिंह--कितने समय में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के पंचायत क्षेत्रों की लिस्टें आउट हो जाँयगी।

श्री रामकरण जोशी--जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करने की कोशिश की जायगी।

श्री खेतसिंह--"जल्दी से जल्दी" में क्या एक साल भी लग सकता है ?

श्री रामकरण जोशी--एक साल में तो दुबारा हो जायगी।

श्री कानसिंह--क्या यह सही है कि ऐसे सर्किल भी बनाये गये हैं कि जिनमें आठ-आठ, दस-दस मील दूर के गाँव भी उन सेन्टर्स में लिए गये हैं ?

Page No.32

श्री रामकरण जोशी—जहाँ आबादी बिल्कुल ही कम है वहाँ संभवतः ऐसा हो गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६०

जोधपुर जिले में किया जाने वाला पशु मेला रामदेवरा सबसे उपयुक्त स्थान

श्री खेतसिंह—Will the Revenue Minister be pleased to state :—

(a) Is there any Cattle fair going to be organised by the Government in Jodhpur District ?

(b) Is it a fact that Jodhpur District possesses the highest number of cattle in the whole of Rajasthan ?

(c) Is the Government aware of the fact that Ramdeora is most suitable place for the proposed cattle fair just like Tilwara ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(अ) जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई पशु मेला नहीं शुरू किया जा रहा है।

(ब) नहीं।

(स) जब कोई नया पशु मेला जोधपुर जिले में करने का विचार होगा तब सरकार इस सुझाव को ध्यान में रखेगी।

श्री खेतसिंह—जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में जब कि सबसे ज्यादा केटल वेल्थ है तो सरकार वहाँ पशु मेला करने का विचार करती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं पहले ही (ब) में जवाब दे चुका हूँ। आपकी जो जानकारी है वह गलत है।

श्री खेतसिंह—मेरी जानकारी गलत है तो माननीय मन्त्री अपनी जानकारी बतावें कि सबसे ज्यादा कैटल वेल्थ कहाँ पर है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तीन साल से ऊपर के बैलों की संख्या इस प्रकार है :

जयपुर ३०६०३८

उदयपुर ३०३४१२

कोटा २५४८११

Page No.33

[श्री भोगीलाल पंड्या]

पाली १५५४४६

जोधपुर १०८१०४

और ३ साल से ऊपर की गायों की संख्या निम्न प्रकार है :

जयपुर ३५८६२५

उदयपुर ३१७७७४

कोटा २४०८६२

पाली १५६६६१

जोधपुर १६२६४०

श्री खेतसिंह—बस आपकी लिस्ट यहीं तक रहने दीजिये।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह जो तादाद बताई है तो क्या यह बात भी सही है कि जोधपुर की एक गाय जयपुर और उदयपुर की १० गायों के बराबर है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तोल तो नहीं किया परन्तु यह कहा जा सकता है कि जोधपुर की गायें और बैल जयपुर और उदयपुर की बनिस्पत अच्छे होते हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या जोधपुर के साँढ़-नसल-सुधार के लिये जयपुर और उदयपुर में मँगाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं, यहाँ तो यहीं के साँढ़ काम देंगे।

एक माननीय सदस्य—क्या भैंसवाडा को यों ही बुलाया गया है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६१

किसी हाई स्कूल को कॉलेज के स्तर पर लाने के लिये नियम

श्री भवानीसहाय शर्मा—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किसी हाई स्कूल को कॉलेज के स्तर पर लाने के लिए कोई खास नियम बना रखे हैं ?

(ख) पिछले दो वर्षों में सरकार ने किस-किस हाई स्कूल को कॉलेज बनाया ?

[श्री भवानीसहाय शर्मा]

(ग) जिन हाई स्कूलों को कॉलेज के स्तर पर लाया गया उनकी छात्र-संख्या क्या थी ?

(घ) २ वर्ष में जो कॉलेज बने हैं उनकी छात्र-संख्या आज-कल कितनी है ?

(ङ) राजगढ़, जिला अलवर में क्या कोई हाई स्कूल है ? इसकी छात्र-संख्या आज कितनी है ? यह स्कूल किस सन् में हाई स्कूल के स्तर पर लाया गया और अब कब इसको इन्टर कॉलेज के स्तर पर लाया जायगा ? क्या यह सही है कि राजगढ़ के नागरिकों ने कई बार इसको इन्टर कॉलेज बनाने के लिये माँग की है ?

श्री भोलानाथ—इसका जवाब तारीख २४ मई, १९५४ को दिया जा चुका है ।

श्री भवानीसहाय शर्मा—यह मान लें कि जवाब दे दिया गया है तो भी मैं सप्लीमेंटरी तो जरूर पूछूँगा ।

(हँसी और थोड़े समय के लिय निस्तब्धता)

एक माननीय सदस्य—तो फिर पूछिये न ।

श्री भवानीसहाय शर्मा—जो पहले जवाब दिया है उससे मैं असन्तुष्ट तो हूँ, फिर भी छोड़े देता हूँ । (हँसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १६२

नीमराना, पुर इत्यादि मिडिल स्कूलों और तिजारा तहसील की समस्त प्राथमिक पाठशालाओं का वेतन केन्द्र

श्री घासीराम—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) नीमराना, पुर, टपूकड़ा और शाहाबाद मिडिल स्कूलों और तिजारा तहसील के समस्त प्राइमरी स्कूलों का पे सेन्टर (pay centre) कहाँ पर है ?

(ख) उपरोक्त स्कूलों को प्रति माह कितना द्रव्य वितरण किया जाता है ?

(ग) जिस स्थान से पे मिलती है, उसकी सुरक्षा का क्या प्रबन्ध है ?

(घ) उस स्थान से पुलिस स्टेशन कितनी दूर है ?

(ङ) क्या यह सही है कि सुरक्षा का इन्तजाम न होने के कारण पे सेन्टर के हैड मास्टर ने पे का भुगतान लेने व बाँटने से इन्कार कर दिया है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—नीमीरानी, पुर, टपूकड़ा और शाहाबाद मिडिल स्कूलों और तिजारा के समस्त प्राइमरी स्कूलों का पे सेन्टर इस समय शाहबाद मिडिल स्कूल ही है।

(ख) शाहबाद पे सेन्टर से उसके अधीन मिडिल व प्राइमरी स्कूलों का प्रति माह लगभग ४००० रुपया वेतन वितरण किया जाता है।

(ग) शाहबाद पे सेन्टर को बिल का रुपया तहसील तिजारे से मिलता है। उसकी सुरक्षा के लिये एक चौकीदार दिया हुआ है और एक तिजोरी भी इस सेन्टर के लिये खरीद ली गई है और उसके भिजवाने का प्रबन्ध वहाँ के निरीक्षक द्वारा कर दिया गया है।

(घ) पे सेन्टर से पुलिस स्टेशन तिजारा लगभग तीन मील दूर है।

(ङ) पे सेन्टर के हैड मास्टर ने अभी भुगतान न लेने तथा न बाँटने के लिये इन्कार नहीं किया है। अपनी कठिनाइयों को अवश्य प्रकट किया था, जिसके लिये एक तिजोरी भिजवाने का प्रबन्ध कर दिया गया है और बड़ी रकम ले जाने के समय साथ में एक गार्ड भेजने के लिये भी वहाँ के पुलिस अधिकारियों से लिखा-पढ़ी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६३

मिडिल तथा प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को वेतन मिलने की अन्तिम तारीख

श्री घासीराम—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) समस्त राजस्थान के मिडिल स्कूल व प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन मिलने की अन्तिम तिथि कौन सी है ?

(ख) अलवर जिले के समस्त मिडिल स्कूल व प्राइमरी स्कूल के पे सेन्टर्स को डि० आई० एस० अलवर के ऑफिस से बिल रवाना होने की अन्तिम तिथि कौनसी है ?

(ग) सन् ५३-५४ के वर्ष में शाहाबाद पे सेन्टर को बिल किन-किन तारीखों में भेजा गया है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) समस्त राजस्थान के मिडिल स्कूलों व प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को लगभग हर माह की तारीख १० तक वेतन का चुकारा कर दिया जाता है।

(ख) अलवर जिले के समस्त मिडिल व प्राइमरी स्कूलों को बिल लगभग हर माह की तारीख २९-३० तक तैयार कर ट्रेजरी ऑफिस अलवर को पास होने हेतु प्रस्तुत कर दिये जाते हैं जो लगभग ३ व ४ तारीख तक पास होने पर पे सेन्टरों को तहसील से रुपया लेकर वितरण करने हेतु

[श्री भोलानाथ]

भेज दिये जाते हैं इस प्रकार प्रायः तारीख १० के लगभग वेतन समस्त कर्मचारियों को प्राप्त हो जाता है।

(ग) सन् १९५३-५४ के वर्ष में शाहबाद के पे सेन्टर को जिन-जिन तारीखों को बिल भेजे गये हैं उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

अप्रेल	५३	नं० ६५१	तिथि ५-५-५३
मई	५३	नं० १०६७	२-६-५३
जून	५३	नं० १५५५	८-७-५३
जुलाई	५३	नं० २०६७	३-८-५३
अगस्त	५३	नं०	३-९-५३
सितम्बर	५३	नं० ३३७१	३-१०-५३
अक्टूबर	५३	नं० ४१२१	३०-१०-५३
नवम्बर	५३	नं० ४६०५	८-१२-५३
दिसम्बर	५३	नं०	२-१-५४
जनवरी	५४	नं० ५५१	६-२-५४
फरवरी	५४	नं० १३४१	९-३-५४
मार्च	५४	नं० १९८८	१७-४-५४
अप्रेल	५४	नं० २२००	६-५-५४

श्री घासीराम—क्या यह सही है कि २२ और २६ तारीख को भी वहां तनख्वाह बँटी है ?

श्री भोलानाथ—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री घासीराम—तिजारे में ट्रेजरी है, वहाँ के बिल का रुपया कहाँ से पास होता है।

श्री भोलानाथ—तहसील के खजाने से रुपया मिलता है, बिल अलवर ट्रेजरी से पास होते हैं।

श्री घासीराम—मैंने बिल के लिये नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि पैसा कहाँ से मिलता है ?

श्री भोलानाथ—तिजारे की ट्रेजरी से।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.37

प्रश्न संख्या ६६४

राजस्थान में नारियल का तेल निकालने का लाइसेन्स बीकानेर में

श्री प्रभुदयाल—क्या कस्टम एण्ड एक्साइज़ मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान में नारियल के तेल का लाइसेन्स सब जगह है ?

(ख) अगर नहीं, तो बीकानेर में क्यों ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—(क) जी नहीं ।

(ख) भूतपूर्व बीकानेर राज्य में इस प्रकार के लाइसेन्स की पाबन्दी बीकानेर प्रिवेन्शन. ऑफ एडलट्रेशन एमेन्डमेंट एक्ट, १६३६ के द्वारा थी पर अब वह कानून राजस्थान लॉज़ रिपीलिंग एक्ट, १६५३ के द्वारा रद्द कर दिया है और अब बीकानेर क्षेत्र में भी यह पाबन्दी नहीं रही है ।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार इसकी जाँच करने की कोशिश करेगी ?

श्री भोलानाथ—अगर कोई केस होगा तो जरूर जानकारी करेगी ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री प्रतापसिंह ने विधान सभा की बैठकों से १८ मई, १६५४ से ३१ मई, १६५४ तक अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है :

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

सेवार थाने के पुलिस अधिकारियों द्वारा अगरपुर ग्रामवासियों पर किये गये दुर्व्यवहार सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक एडजोर्नमेंट मोशन आया है जिसे मैं सदन को पढ़ देता हूँ :

"That this House do now adjourn to discuss the serious situation created by the atrocious and unwarranted acts committed by the Police authorities of Sewar Thana against the villagers of Agarpura village. Tehsil Bharatpur, by making indiscriminate and unlawful arrests and subjecting them to inhuman and unnatural treatment." जैसा कि मैंने पहले एक-दो एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में कहा है, मैं इसे मेटर ऑफ अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेंस का नहीं समझता और इसलिये मैं इस पर अपनी consent नहीं देता ।

Page No.38

राजस्थान चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, १९५४. (पुरःस्थापित)

श्री अध्यक्ष—श्री कुम्भाराम आर्य।

श्री कुम्भाराम आर्य—माननीय अध्यक्ष, मैं निम्नलिखित विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ :

"दी राजस्थान मेडिकल (एमेंडमेंट) बिल, १९५४."

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि राजस्थान मेडिकल (एमेंडमेंट) बिल, १९५४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री रामकिशोर व्यास।

श्री एच० के० व्यास से सम्बन्धित विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री रामकिशोर व्यास—Sir, I beg to present the report of the Committee on Privileges on the question of the breach of privilege relating to Shri H. K. Vyas which was referred to it.

राजस्थान कृषि आय-कर विधेयक, १९५३. (पुरःस्थापित)

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg for leave to introduce the Bill to amend the Rajasthan Agricultural Income-tax Act, 1953.

श्री अध्यक्ष—अब हम राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलिडेशन एन्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेंटेशन) बिल, १९५३ के खण्ड १, ११, १६ एवं......

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—What has happened to the motion moved by my friend ?

श्री अध्यक्ष—He has introduced.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—He has not introduced.

श्री अध्यक्ष—What I could hear from him is that he introduced.

Page No.39

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—He has asked for leave.

श्री अध्यक्ष—(श्री भोलानाथ को सम्बोधित करते हुए) फिर से बोलिये।

श्री भोलानाथ—Sir, I beg to move for leave to introduce the Bill to amend the Rajasthan Agricultural Income-Tax Act, 1953.

श्री अध्यक्ष—आपने पहले इन्ट्रोडयूस कहा।

(विराम)

Is it the leave of the House?

(स्वीकृत)

Leave is granted.

श्री भोलानाथ—Sir, I introduce the Bill.

राजस्थान खेती-बाड़ी (संघनन तथा खण्ड निरोध) विधेयक, १६५३.
(विचार-विमर्श तथा पारित)

श्री अध्यक्ष—अब राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलिडेशन एन्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रैगमेंटेशन) बिल, १६५३ के खण्ड १, ११, १६, टाइटल इत्यादि पर विचार होगा।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, यहां क्लॉज़ का हिन्दी ट्रान्सलेशन खण्ड करके हमें परेशानी में डाल दिया। खण्ड का अर्थ हम चेप्टर से लेते। हमने बहुत ढूंढा मगर १, ११, १६ चेप्टर हमें मिले ही नहीं। इससे बड़ी गड़बड़ी हो गई।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ ११.

श्री टीकाराम पालीवाल (विधि मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ११ में एक संशोधन पेश किया गया था और उसका निर्णय उस समय न लेकर आगे के लिये रखा गया था। मैंने इस पर काफी विचार किया है और संशोधन की जो भावना है उसे स्वीकार करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। संशोधन को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य आज यहां नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से ही इसमें एक प्रोविजो एड करना चाहता हूँ......

श्री अध्यक्ष—प्रोविजो क्या है?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं पढ़ता हूँ:

The following proviso may be added to Clause 11 "Provided that nothing contained in this Section or in section 10 shall debar any owner of a

[श्री टीकाराम पालीवाल]

fragment from making its transfer to any tenant of a contiguous survey number with the prior sanction of the Collector on such terms as may be agreed to between such owner and tenant."

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that clause 11, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 11, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

क्लॉज़ १६:

श्री टीकाराम पालीवाल—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १६ को भी आज और अधिक विचार के हेतु रखा गया था। मगर जो संशोधन पेश किया गया है क्लॉज़ १६ के लिये, मुझे खेद है कि क्लॉज़ १६ के स्थान पर तो उसको नहीं माना जा सकता। क्लॉज़ १६ जैसा है वैसे ही उसकी आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि वह अपने स्थान पर ठीक है। माननीय श्री एच० के० व्यास ने इसे संशोधन के रूप में रखा था। इस चीज को अलग एक सेक्शन में रखा जा सकता है। इसके लिये कोई नया सेक्शन रखा जा सकता है जिसको मैं अभी तैयार नहीं कर सकता। क्लॉज़ १६ वैसे ही रहना चाहिये जैसा it stand; जैसा है वैसा ही रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—क्या जो एमेंडमेंट पेश किया गया है उसको आप मानते हैं या नहीं?

श्री टीकाराम पालीवाल—I do'nt accept any amendment to this section.

कु० श्री जसवन्तसिंह—What has hppened to the Hon'ble Minister who has agreed in principle to accept that amendment, but that does not find place in that clause. Is he going to have a separate........

श्री अध्यक्ष—That is what I am asking.

श्री टीकाराम पालीवाल—I would make an amendment of my own to this clause. That is for compensation.

Clause 16 (2) (ii) :—"Where such rights do not exist, compensation shall be payable for the extention of Khatedari rights, if any, in the portion of the land allotted to the land holder at the rate of ten times the annual rent payable in respect thereof."

[श्री टीकाराम पालीवाल]

From "ten times" I propose to make it "15 times the annual rent payable in respect thereof."

This is the amedment which I propose to move.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to accept this amendment to clause 16 (2) (ii)—"fifteen" instead of ten.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

Now the question is that the amendment to clause 16 moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that the amendment moved by Shri Bhairon Singh to clause 16 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

Now, the question is that clause 16, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 16 is added to the Bill.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 1, Shri Bhaironsingh.

(अनुपस्थित)

The question is that clause 1, title, extent and commencement......

कु० श्री जसवन्तसिंह—1953 should obviously be made 1954.

श्री अध्यक्ष--The question is that for "1953", "1954" may be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि टाइटल, कमेन्समेंट, और प्रिएम्बल बिल में अंग रूप से स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

टाइटल, कमेन्समेंट और प्रिएम्बल स्वीकार किये गये।

श्री टीकाराम पालीवाल—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कंसोलिडेशन एन्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रैगमेंटेशन) बिल, १९५४ पास किया जाय ?

(स्वीकृत)

बिल पास किया गया।

Page No.43

राजस्थान भूदान-यज्ञ विधेयक, १९५३ (विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—राजस्थान भू-दान यज्ञ बिल, १९५३। खण्ड ६—हम यह मान कर चलें सकते हैं कि खण्ड ६ मूव कर दिया गया है। इस पर संशोधन श्री हरिदेव जोशी का है।

श्री हरिदेव जोशी—माननीय अध्यक्ष, खण्ड ६ में मेरा संशोधन निम्न प्रकार है :

Substitute as follows :—

"(1) Upon receipt of the Bhoodan declaration the Tehsildar shall make a preliminary enquiry as to the right, title or interest of the donor in such land, and refer the result of such enquiry to the Board for advice

(2) If the right, title or interest of the donor appears to be defective, the Board may advise the Tehsildar to reject the declaration and the declaration shall be rejected accordingly.

(3) If the Board advises the Tehsildar to take action for the confirmation of the declaration, it shall at the same time indicate the date when the Board may be in a position to lease out the land in accordance with the Bhoodan Yagna Scheme.

(4) The Tehsildar shall publish the declaration for inviting objections to be made on any date as may be appointed within 4 months preceding the day indicated by the Board in the preceding clause."

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Sir, the loudspeakers are not functioning properly.

श्री अध्यक्ष—I am hearing it.

श्री हरिदेव जोशी—अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मेरा निवेदन यह है कि जो मूल क्लॉज़ है उसके अन्दर कार्यवाही को कुछ कॉम्प्लीकेटेड किया गया है और उससे कई बार भ्रम पैदा होने की सम्भावना है। कई बार ऐसा होता है कि जो दान-दाता हैं उनका उस भूमि पर अधिकार है या नहीं है, दान देने की स्थिति में हैं या नहीं हैं, दान से कोई कॉम्प्लीकेशन पैदा होते हैं या नहीं, इसको समझे बगैर अपनी जमीन देते हैं और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो बाद में काम्प्लीकेशन्स पैदा हो सकती हैं। तो इस प्रकार से कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि भू-दान में मिलने के बाद उसकी कार्यवाही जल्दी समाप्त न हो; जो मन्शा भू-दान बिल की है वह भी पूरी नहीं होती है और इसीलिए मूल क्लॉज़ के बदले मैंने यह संशोधन रखा है। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री भोगीलाल पंड्या (राजस्व मन्त्री की ओर से)—अध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री जोशी द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि खण्ड ९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

संशोधित रूप में खण्ड ९ विधेयक में जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १०, श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री वेदपाल त्यागी—He has asked me to move the amendment.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member is not entitled to move. I am very sorry. I would have provided this facility but for the rules and decisions of the Chair.

(विराम)

श्री हरिदेव जोशी—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ में मेरा बहुत ही साधारण संशोधन है "Add at the end the word 'Board'."

इस भू-दान यज्ञ के साथ 'बोर्ड' शब्द और जोड़ दिया जाय। यह बहुत ही साधारण संशोधन है। आशा है माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि खण्ड १०, संशोधित रूप में, बिल का अंग स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १०, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ११, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 11 (1) :—

"Substitute the word 'sixty' for 'thirty' in the third line."

श्री अध्यक्ष—(श्री भोगीलाल पंड्या को संबोधित करते हुए) क्या आप इसे स्वीकार करते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इसको स्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास अनुपस्थित हैं; अतः उनका संशोधन नहीं लिया जा सकता।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है खण्ड ११, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ११, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ११ ए, श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है खण्ड ११ ए को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No.46

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड ११ ए विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ११ बी.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ११ बी विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ११ बी विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ११ सी, श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड ११ सी स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ११ सी विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड १२, श्री भैरोंसिंह

श्री भैरूं सिंह (वि० सं० १६)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 12 :—

"Insert the words 'or playgrounds' after the words 'floor' in part (b) and delete the word 'or' occurring between the words 'path-way' and 'thrashing floor'."

श्री अध्यक्ष—(श्री भोगीलाल पंड्या को सम्बोधित करते हुए)

क्या आप इनके संशोधन को स्वीकार करते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—"Or playground." तो स्वीकार करता हूँ।

Page No.47

श्री अध्यक्ष—There are certain amendments more to be moved by Shri Harideo Joshi.

श्री हरिदेव जोशी—खण्ड १२ में ए पार्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—But that will come afterwards. Then I put the question.

प्रश्न यह है कि खण्ड १२ में श्री भैरोंसिंह का "Or playground" वाला संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री भैरोंसिंह का 'Or playground' वाला संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

श्री हरिदेव जोशी—For 12 (a) substitute the following:—Land which forms part of a family property and cannot be alienated without the partition of the whole of the family property.'

श्री वेदपाल त्यागी—He wants to substitute another sub-clause for 12 (a)

श्री हरिदेव जोशी—12 (a)

श्री अध्यक्ष—I shall have to put it to vote. The House can allow, to the question is that the amendment (substitution of new clause 12 (a)) be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

Now the question is that clause 12, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 12, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clause 13, Shri Harideo Joshi.

श्री हरिदेव जोशी—अध्यक्ष महोदय, धारा १३ के पार्ट (२) में मेरा निम्न संशोधन है
"For 13 (2) substitute the following:—

"(a) The list so prepared shall be forwarded to the Tehsildar in whose Jurisdiction the land is situate.

(b) The Tehsildar shall publish the list in the prescribed manner."

जब भूदान प्राप्त होने के बाद में यह साधारण सी कार्यवाही है जिसको पब्लिश किया जायगा। मेरा यह निवेदन है कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—For 13 (2), 13 (2) (a) and 13 (2) (b) have been substituted.

श्री हरिदेव जोशी—After sub-clause 13 (2) the following new sub-section be added:—

"(3) On receipt of such list, the Tehsildar shall cause action to be taken in accordance with section 9 in respect of the lands described in the list."

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

"(4) The provisions of section 9 to 11-A shall apply in respect of all donations of the said lands as thay apply in respect of all denations of lands made after the commencement of this Act:—

Provided that where an order is made by a Tehsildar under sub-clause [4] of section 11, the gift shall be deemed to have been accepted with effect from the date on which the donation of land was made and for this purpose this Act shall be deemed to have been in force on such date."

"Renumber 13 [3] as 13 [5]

अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले मे मेरा यह निवेदन है कि भूदान की प्राप्ति होने के बाद में इसको तहसीलदार किस प्रकार और कैसे स्वीकार करे, यह एक पद्धति की ही चीज है। इसमें उस पद्धति को छोटी और सरल किया गया है और दान देने वाले को, लेने वाले को और भूदान बोर्ड को सबको इससे सुविधा होगी। इसलिए मेरा यह अमेंडमेंट स्वीकार किया जावे, यह मेरी सदन से प्रार्थना है।

Page No.49

श्री भैरोंसिंह (वि० ¿० १६)—इस पर मेरा भी संशोधन है।

श्री भोगीलाल पंडया—मैं श्री हरिदेव जोशी का संशोधन स्वीकार करता हूँ।

श्री भैरू सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, I beg to move the following amendment to clause 13:—

"Delete sub-clause [2] and substitute the following:—

'2A. The list so prepared shall be sent to the Tehsildar in whose jurisdiction the land falls for verification after making enquiry as to the right title and interest of the donor in such land.

2B. The list after verification shall be published in the manner prescribed.

2C The Tehsildar shall, if found on enquiry that interest of some other person is affected due to the donation of land entered into the list, proceed under clause 11 and inform the Board accordingly,"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जो संशोधन रखा और जो माननीय मन्त्रीजी ने उसे स्वीकार कर लिया उसमें और मैंने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है उन दोनों को मन्शा करीब करीब एक ही है।

अब मन्शा के लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया है उसके वर्डिंग्ज़ और मैंने जो अपना संशोधन पेश किया है उसके वर्डिंग्ज़ देखे जावें तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना पड़ेगा कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन पैदा होता है।

जिस तरह से माननीय सदस्य ने अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए ऊपर तो लिखा है (१३) (२) में कि "For 13 (2) substitute the following:—

'2 (a) The list so prepared shall be forwarded to the Tehsildar in whose Jurisdiction the land is situate,"

(b) The Tehsildar shall publish the list in the prescribed manner,"

और आगे क्लॉज़ १३ में फिर उसको ऐसा कर दिया। दुबारा इसको लिखा है जैसे :—

"(3) On receipt of such list the Tehsildar shall cause action to be taken in accordance with section 9 in respect of the lands described in the List."

[श्री भैरोंसिंह]

और इसके आगे लिखा है—

"The provisions of section 9 to 11 A shall apply in respect of all donations of the said lands as they apply in respect of all donations of lands made after the commencement of this Act." और ऊपर पहले ही उन्होंने क्लॉज़ ९ का हवाला दे दिया है।

"The list so prepared shall be forwarded to the Tehsildar in whose jurisdiction the land is situate."

तहसीलदार के पास तो लिस्ट चली जावेगी तो list so prepared का क्लॉज़ अपने आप आ जाता है।

इसके आगे जो प्रोसीजर है वह ठीक हो सकता है मंशा एक ही है पर वर्डिंग्ज़ की दिक्कत हैं। मेरे संशोधन के अनुसार तीन छोटी सी क्लॉज़ों में सारी चीजें आ जाती हैं।

मेरा पहला जो संशोधन है उसमें महज इस सारे क्लॉज़ को डिलीट करके तीन चीजें खास तौर से रक्खी हैं। ओरिजिनल बिल में जो संशोधन पेश किया है उन दोनों में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन और कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यह तीन लाइन का अमेंडमेंट स्वीकार कर लिया जावे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा।

"The list after verification shall be published in the prescribed manner."

जो लिस्ट तैयार की जावेगी वह लिस्ट भेज दी जावेगी, तहसीलदार के पास। इसके समान राइट टाइटल का सर्वे और एन्क्वायरी आदि हो जावेगी। इसके बाद ठीक समझते हों तो उसका वैरीफिकेशन हो जाता है तो लिस्ट तैयार कर लेंगे, जैसा कि मेरा दूसरा संशोधन है।

इसके बाद में जो संशोधन है "The Tehsildar shall, if found on enquiry that interest of some other person is affected due to the donation of land entered into the list, proceed under clause 11 and inform the Board accordingly." तो इसकी मन्शा बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। वेरीफिकेशन में अगर दूसरे आदमी को नुकसान पहुँचता मालूम हो तो उस दरख्वास्त या प्रोमोशन को रिजेक्ट कर सकता है और रिजेक्ट की इत्तला भूदान यज्ञ बोर्ड को दे सकता है। अगर नहीं तो क्लॉज़ ११ के अन्तर्गत आज्ञा प्रदान करने की कार्यवाही करता है। इसलिए मेरा सन्शोधन कन्सोलिडेटेड है और इन दोनों की मन्शा के अनुकूल है। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूँगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करके इनको स्वीकार कर लें. ताकि उनकी मन्शा पूरी हो जावे।

Page No.51

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे ख्याल से जो संशोधन पहले स्वीकार कर लिये गये हैं इसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं रहती है और मैं समझता हूँ कि दोनों के मतलब क़रीब-क़रीब एक से हैं।

श्री भैरूँ सिंह—रर वडिंग्ज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—वर्डिंग्ज़ भी ठीक हैं।

श्री भैरूँ सिंह—I beg leave to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow withdrawal.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री भैरूँ सिंह—I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष—The Question is that the amendments moved by Shri Harideo Joshi be accepted.

(स्वीकृत)

The amendments are accepted.

(विराम)

The Question is that clause 13, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 13, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clause 14.

श्री भैरूँ सिंह (वि० सं० १६)—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move my amendment to clause 14 A.

श्री उपाध्यक्ष--You have no amendment to clause 14.

श्री हरिदेव जोशी—मेरा क्लॉज़ १४ में यह संशोधन, जैसा है, मैं प्रस्तावित करता हूँ,

"Substitute the following :—

"The Board or the Tehsil Committee or such other authority or person, as the Board may specify either generally or in respect of any areas,

[श्री हरिदेव जोशी]

may, in the manner prescribed, grant lands which have vested in it to the landless persons."

अध्यक्ष महोदय, मूल क्लॉज़ जो है इसकी अपेक्षा एक प्रकार से अधिक स्पष्ट और संशोधित इसका स्वरूप है। इसमें पद्धति को अधिक स्पष्ट किया गया है। मेरा निवेदन है कि सदन इसको स्वीकार करे।

श्री भोगीलाल पंड्या—इसे मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं क्लॉज़ १४ ए पर निम्नलिखित संशोधन को प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—पहले १४ को पास कर लेते हैं फिर १४ ए को लेंगे।

श्री भैरूंसिंह—आप पूछ रहे हैं इसलिए...

श्री उपाध्यक्ष—The Question is that clause 14, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 14, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Now clause 14 A, Shri H. K. Vyas.

(अनुपस्थित)

Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 14 A:—

Part (d)—Insert the words 'except under the rules prescribed' after the word 'Board' and Delete part (f) and (g)."

माननीय उपाध्यक्षजी, पार्ट (डी) में दर्ज किया गया है कि "The lessee shall not sublet the land without the previous sanction of the Board" इसमें मैंने यह संशोधन रखा है कि बीच में "ऐक्सेप्ट अन्डर दी रूल्स प्रेस्क्राइब्ड (except under the Rules prescribed)" और एड कर दिया जाय। माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज़ का संबंध यह है कि जिस व्यक्ति को भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा जमीन दे दी जाय काश्त करने के लिए तो उसको किन-किन शरायत पर काम करना पड़ेगा, और किन-किन शरायत पर काम करने के कारण उस

[श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)]

जमीन के अन्दर उसका कब्जा बना रहेगा। इस तरह की शरायतें क्लॉज़ १४ ए में दर्ज की गई हैं। उसमें एक शर्त यह है कि जैसा कि क्लॉज़ 'डी' में दर्ज किया गया है कि जिस व्यक्ति को जमीन दी जाय वह बोर्ड की आज्ञा के बिना दूसरे आदमी को सबलेट (sublet) नहीं कर सकता है। उसके अन्दर इस तरह के रूल्स भी होने चाहिए कि जिन रूल्स के मातहत सबलेट कर सके। जहाँ तक भूदान यज्ञ बोर्ड की पर्मीशन का सवाल है यह बिल्कुल उचित है कि भूदान यज्ञ बोर्ड की इस बात में पर्मीशन ली जाय। जिस जमीन पर कब्जा कराया गया है उस कब्जे की जमीन पर वह खुद काश्त करता है या दूसरे से करवाता है या जमीन बेचता है या उससे दूसरे किसी तरह के जीवन-निर्वाह के साधन जुटाता है तो उस जमीन के अन्दर काश्त बनी रहे तो इस प्रकार की पाबन्दी डालने के लिए आवश्यक है कि भूदान यज्ञ बोर्ड की मन्जूरी लेना पड़े। तो भूदान यज्ञ बोर्ड को गाइड करने के लिए, उस शख्स का सम्बंध रखने के लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे कि जिन रूल्स के मातहत इस प्रकार की जमीन मिल सकेगी, लेकिन आमतौर की परिस्थिति में किसी आदमी को इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है कि कोई आदमी खेती करता है, बरसात की ऋतु आती है लेकिन उसमें फिजीकल अनफिटनेस आ जाती है या दूसरा इकोनोमिक क्राइसिस आ जाता है जैसे कि उसके पास २ बैल हैं जिनसे कि वह काश्त करता है और वे दोनों बैल आज के शासन में चोरी कर लिये जाते हैं तो उसके पास काश्त करने के लिए एक भी बैल नहीं है तो भूदान यज्ञ बोर्ड की इजाजत लेने के लिए जयपुर में आना पड़ेगा और जयपुर के भूदान यज्ञ बोर्ड की मिटिंग की तलाश में रहेगा और ऑफिस बियरर्स के पीछे पड़ेगा। वहां से किसी तरह से पर्मिशन लेकर वापिस आयगा उस वक्त तक सारा का सारा खेती का मौसम जा सकता है। इसलिए फिज़ीकल अनफिटनेस या इकोनोमिकल क्राइसिस किसी व्यक्ति के ऊपर आ जाती है तो उन्हीं चीजों को आधार मानकर इस प्रकार के रूल्स बनाने चाहिये कि जिन रूल्स के मातहत स्वयं भी भूदान यज्ञ बोर्ड की इजाजत के बिना वह इस तरह की कार्यवाही कर सके और उसको काश्त करने की इजाजत दी जाय। तो सबलेट करने के लिए इस प्रकार की शर्तें रह सकती हैं कि जिन कारणों से उन्होंने सबलेट किया है उन कारणों का भूदान यज्ञ बोर्ड में जाकर जिक्र करेगा और उनसे वह उन चीजों पर एप्रूवल करायेगा। बाद में एप्रूवल कराना वह सेन्क्शन के बराबर सारी की सारी चीज होगी। तो फिर एक प्रकार की पाबन्दी लगाना कि भूदान यज्ञ बोर्ड की बिना स्वीकृति लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं, वह जमीन को सबलेट नहीं कर सकते हैं, सबलेटिंग के जरिये काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है; खेती की पैदावार को ज्यादा बढ़ाने के लिए किसी आदमी को फिजिकल अनफिटनेस और इकोनोमिक क्राइसिस में अधिकार होना चाहिए कि वह उस वक्त बिलफेल काश्त के दूसरे साधन जुटा सके। दूसरे लोगों को काश्त के लिए सबलेट करने के लिए भूदान यज्ञ बोर्ड जिस प्रकार रूल्स बनाता है तो भूदान यज्ञ बोर्ड से पर्मिशन हासिल करने के लिए कुछ डिले हो सकती है। यह कुछ संभावना की बात हो सकती है कि एक व्यक्ति तहसील कमेटी में जाकर या तहसीलदार के पास जाकर इस प्रकार की पर्मिशन ला सकता है, लेकिन इसमें भूदान यज्ञ बोर्ड की इजाजत लाने की बात है और भूदान यज्ञ बोर्ड महज एक होगा और वह होगा जयपुर में। मान लो कि जोधपुर में एक जमीन दी गई है, वह सबलेट करना चाहता है किन्हीं कारणों से। तो उसे जोधपुर से जयपुर आना पड़ेगा या जयपुर से कुछ फासले पर जमीन डोनेट की तो जिसको डोनेट की गई है वह अपनी कोई विशेष परिस्थितियों के कारण काश्त

Page No.54

[श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)]

नहीं कर सकता है, तो उसको इजाजत हासिल करने के लिए कारी जेरबार होकर जयपुर आना पड़ेगा। इसलिए मेरा संशोधन इस प्रकार का है कि कुछ रूल्स हों कि वह किन्हीं विशेष परिस्थतियों में अपनी मरजी से सबलेट कर सकता है जिससे कि खेती को कोई नुकसान नहीं हो। इसलिए भूदान यज्ञ बोर्ड के साथ-साथ कुछ रूल्स ऐसे आने चाहिये थे कि जिसके मातहत वह काम करता हो। यह रूल्स बनाने के लिए मेरा संशोधन है। दूसरा यह है कि पार्ट 'एफ' एन्ड 'जी' में यह दर्ज किया गया है : "(f) The lessee shall pay the lease money one month before the date on which the land revenue for the land is due;

(g) The lessee shall comply with any conditions which the Board may impose by rules."

माननीय उपाध्यक्षजी, भूदान यज्ञ में जैसी कि यह नियत मानकर हम चलते हैं, जो नियत यह होती है कि लोगों में एक प्रकार से एक स्प्रिट पैदा करें कि जमीन दान करें और इसलिए दान करें कि जितनी भी भारतवर्ष की भूमि की समस्या है वह सारी की सारी अहिंसात्मक ढंग के द्वारा दूर करें। वह सारी की सारी प्रणाली इस ढंग के अन्दर आ जाय कि लोगों की जो जमीन की मांग बढ़ रही है तो एक हद तक उस मांग को पूरा किया जाय। भूदान यज्ञ बोर्ड को इतना पायस (पवित्र) बना रखते हैं। उसको एग्जिक्युटिव अधिकार कुछ नहीं देना चाहिए कि वह जमीन का लगान वसूल करेगा और लगान वसूल करने के संबंध में कोई कार्यवाही करेगा। लगान वसूल करने के लिए तहसील मौजूद है, कलेक्ट्री मौजूद है। लेन्ड रेवेन्यू वसूल होती है तो उसकी भी सारी की सारी कार्यवाही उनके मातहत हो जायगी। भूदान यज्ञ बोर्ड को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए; चाहे जागीरदार हो, चाहे जमींदार हो, चाहे पटेल हो, चाहे पटवारी हो। पटवारी चूंकि सरकारी अधिकारी है उसके बारे में कोई ऐतराज नहीं करना है—लगान वसूल करने में सरकार और काश्तकार के बीच में किसी प्रकार का दूसरा दर्जा नहीं होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि भूदान यज्ञ जैसे काम में भूदान यज्ञ बोर्ड को एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर मानकर, उसको अधिकार देकर कि जो जमीन भूदान में दूसरों दूसरों को काश्त करने के लिए दी जाती है उसका लगान भूदान यज्ञ बोर्ड वसूल करेगा। एक महीने पहले लगान नहीं देता है तो कलेक्टर जो है वह जो सरकारी कार्यवाही होती है उसके मुताबिक कार्यवाही करके लगान वसूल करेगा। उसमें (भूदान यज्ञ बोर्ड में) जमीन लेने का काम अलग हो, जमीन देने का काम अलग हो और जमीन काश्त कराने का काम अलग हो। इसके अन्दर कोई बात न हो, वह पायस प्रेरणा बनी रहे इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि लगान वसूल करने का सारा का सारा काम रेवेन्यू ऑफिसर के पास होना चाहिए। भूदान यज्ञ बोर्ड का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए।

तीसरा संशोधन इस पर है

"(g) The lessee shall comply with any conditions which the Board may impose by rules.

[श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)]

माननीय उपाध्यक्षजी, यह एक ऐसी चीज है कि जब भूदान यज्ञ बोर्ड किसी भी प्रकार के कोई रूल्स बना दे तो उन रूल्स की सारी की सारी आज्ञाओं का पालन करेगा। मेरा संशोधन स्पष्ट है कि १४ ए में जब हम इस प्रकार के रूल्स बना देते हैं, जिन रूल्स में यह होगा कि वह काम कैसे कर सकेंगे, जिन रूल्स की अवहेलना करने में जमीन से वह अलग किया जा सकता है उसके बाद में ऐसे कौन से रूल्स बच जाते हैं कि जिनके लिए भूदान यज्ञ बोर्ड को एक प्रकार का अधिकार देते हैं कि इस क्लॉज़ के मातहत कोई चीज बना दे कि फलां आदमी इस जमीन पर काश्त करेगा और जो (बी), (सी), (डी) और (ई) में जिस प्रकार की शर्तें हैं उन शर्तों की अवहेलना करेगा तो उसको जमीन से वंचित कर दिया जायगा। उसके बाद में महज एक काम रहता है कि जमीन काश्त करे और काश्त करने के बाद जमीन छोड़ देता है तो ऑटोमेटीकली भूदान यज्ञ बोर्ड का उस पर कब्जा रहता है। अगर वह ठीक रहता है और काश्त करता है तो सिवाय इसके कि लगान नहीं दे तो जमीन का लगान वसूल करने या नहीं करने का रेवेन्यू ऑफिसर का काम है।

यह चीज हो सकती है कि वह काश्तकार उस जमीन को पड़ी रखे और उस पर काश्त न करे तो क्या हो ? इसके बारे में राजस्थान एसेम्बली एक कानून बना रही है 'लैंड रेगुलेशन बिल, जो शीघ्र ही पास होने वाला है। उसके अनुसार कोई भी काश्तकार जमीन को पड़त नहीं रख पायेगा। काश्तकार दो साल से अधिक बन्धक रख सकते हैं तो बन्धक रखने और काश्त नहीं करने को कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसके लिये अलहदा कानून है, लगान वसूल करने के लिये अलग कानून है फिर ऐसी कौन सी बात रह जाती है जिसके लिये भूदान यज्ञ बोर्ड को अलग कानून बनाने की आवश्यकता रह जाती है। यदि जमीन से इजेक्ट किये जाने का भय है तो इजेक्टमेंट के लिये राजस्थान में अलग कानून है, भारतवर्ष में चाहे दूसरी बात प्रचलित हो, पर राजस्थान में जिस काश्तकार ने किसी जमीन पर एक फसल तैयार कर ली है या दो फसल तैयार करली है या फसल की शुरूआत में जमीन बो दी है तो उस पर उसका कब्जा है और वह रेकर्ड में दर्ज है और उसको इजेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह सेवा-भावी कहलाने वाली संस्था इजेक्टमेंट के अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है। लोग कहते थे कि जागीरदार बड़े जुल्मी थे जो काश्तकारों से उनकी जमीन छीन लेते थे। लेकिन आज एक भूदान बोर्ड जैसी संस्था को ऐसे अधिकार दिये जा रहे हैं। मैं स्पष्ट कहूँगा कि यह आन्तरिक प्रेरणा के प्रतिकूल अधिकार लोगों से जमीन छुड़ाने के दिये जा रहे हैं ताकि वे जब चाहें तब काश्तकारों को उनकी जमीन से निकाल दें। ऐसे अधिकार भूदान यज्ञ बोर्ड को नहीं देने चाहिये। यदि आप किसानों को राहत पहुँचाना चाहते हैं तो ऐसे अधिकार उसको नहीं देने चाहिये। राजस्थान में भूमि सम्बन्धी कई ऐसे कानून हैं जिनके मातहत उचित कार्यवाही की जा सकती है। फिर ये स्पेशल अधिकार क्यों दिये जाते हैं ? इसलिये मैंने जो तीन संशोधन रखे हैं उन पर गौर करें।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, भूदान यज्ञ बोर्ड का उद्देश्य यह है कि उसके द्वारा भूमिहीन किसानों को जमीन मिले और वह उनके कब्जे में रहे। इसलिये यह रखा गया है कि जब कभी जमीन का सबलेट (sublet) करना हो तो उसके पास से वह जमीन छिन जाती है और

[श्री भोगीलाल पंडया]

जिसको जमीन दी गई थी उसके पास तो वह नहीं रही और वह तो भूमिहीन ही रहा। इसलिये यह प्रोविजन रखा गया है कि जब कभी सबलेट करने का मौका आवे तो भूदान यज्ञ बोर्ड को पूछ कर ही यह सबलेट की जावे। यह प्रोविजन बहुत सोच-समझ कर रखा गया है और इसलिये इसको रखना उचित होगा।

दूसरे संशोधन में यह कहा गया कि लगान लेने का काम तो लैंड रेवेन्यू विभाग का है फिर भूदान यज्ञ बोर्ड क्यों तो इसका हिसाब रखे और क्यों इस झंझट में पड़े। इसमें उलझन या झंझट की बात नहीं है। भूदान यज्ञ बोर्ड चाहता है कि किसान एक महीने पहले......

श्री हरिदेव जोशी—इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन है कि उसे भी ले लिया जाय, फिर जवाब दें।

श्री भैरूं सिंह (वि० सं० १६)—पहले मेरे संशोधन का तो जवाब दे दिया जाय।

श्री हरिदेव जोशी—क्लॉज १४ ए. (एफ) में मेरा निम्न संशोधन है। उसके बदले यह रख दिया जावे :

"The lessee shall pay the rent equal to the land revenue fixed by the State Government direct to the landholder or the State Government, as the case may be, on or before the date when it falls due."

अभी मेरे मित्र ने एक संशोधन रखा था कि भूदान यज्ञ बोर्ड को लैंड रेवन्यू इकट्ठा करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मैं उनसे भी आगे बढ़कर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो १ महीने पहले किसानों को लगान देने का प्रोविजन रखा गया है वह उनके साथ में ज्यादती होगी क्योंकि जिस किसान को भूमिहीन, साधनहीन समझ कर दान में आई हुई जमीन देते हैं उसको यह समझ कर देते हैं कि वह साधनहीन है और उसकी स्थिति ऐसी है कि वह आम किसानों की अपेक्षा अधिक परेशान है। ऐसी परिस्थिति में दूसरे किसानों की तरह और उनसे भी एक महीना पहले लगान देना उनके लिये सुविधाजनक नहीं होगा। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि भूदान बोर्ड लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करे, हिसाब रखे। गवर्नमेंट की अपेक्षा उसमें अधिक जोश है, उसको अधिक काम करना चाहिये, इसलिये मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ कि इससे भूदान यज्ञ बोर्ड को सुविधा होगी। इसलिये मेरा आग्रह है कि लैंड होल्डर गवर्नमेंट को जब लगान देते है तो उसके साथ ही लगान दे दे और जो एक महीने की शर्त लगी हुई है कि एक महीना पहले लगान दे दे, वह ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये। दूसरे किसानों को जो सुविधा दी गई है वही सुविधा इस किसान को भी मिलनी चाहिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं बतला रहा था माननीय हरिदेवजी ने भी वही बतलाया और मैं यही कह रहा था कि भूदान बोर्ड की ऐसी इच्छा नहीं है कि अपनी तरफ से लगान ले और यदि नहीं आवे तो उनको हटा दे। इसलिये मैं हरिदेवजी के संशोधन स्वीकार करता हूँ। मेरे ख्याल से श्री भैरूंसिंहजी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री भैरूंसिंह—जी नहीं।

श्री भोगीलाल पंड्या (जारी रखते हुए)—यह तो आपने पहले बताया था कि रूल्स बन जाने चाहिये। इसके उपरान्त बोर्ड नियम बनाकर उस पर कार्यवाही करेगा "The lessee schall comply with any conditions which the Board may impose by rules." इसके नियम बन जावेंगे और उनके अनुसार कार्यवाही होगी और आपने १४ (ई) में कहा था रूल्स बन जायं तो अच्छा रहे। रूल्स बन जायेंगे। इसलिये वे अब अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—मेरा एक संशोधन माननीय मन्त्रीजी ने जिस तरह से उसे श्री हरिदेवजी ने मूव किया था, स्वीकार किया। मेरे संशोधन और उनके संशोधन की एक ही मंशा थी। इसलिये कोई-सा भी मन्जूर हो गया है, अच्छा हुआ। मैं अपना ही संशोधन मन्जूर हुआ मानता हूँ।

दूसरा मेरा संशोधन था: "The lessee shall not sublet the land without the previous sanction of the Board except under the rules prescribed.' माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज़ में यदि कोई आवश्यक चीज है तो सबलेट की चीज है। मैं आज यह भी मानता हूँ कि जो जमीन पर काश्त करे वही उस जमीन का मालिक होना चाहिये और यदि भूदान यज्ञ बोर्ड काश्तकारों से लगान स्वयं लेकर फायदा स्वयं उठावे, यदि इस प्रकार की मंशा कानून बनानेवालों की है तो मुझे भय है कि यदि उनको अधिकार दिये गये तो अच्छी चीज नहीं होगी। एक ओर तो मुझे यह आशंका है और दूसरी ओर जिन काश्तकारों को जमीन दी गई है उनकी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि वे समय पर काश्त न कर सकें और इस सूरत में वह जमीन बिल्कुल बिना बोई पड़ी रहेगी। हम जानते हैं कि राजस्थान में ऐसे कानून बनते हैं कि कोई आदमी जमीन पड़त नहीं रख सकता। पर जब भूदान की जमीन के बारे में रूल्स बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किसी खास परिस्थिति में जमीन को सबलेट कर सकता है, ऐसे रूल्स बनने चाहिये। पहले मैंने दो बातें बताई थीं कि किसी आदमी के सामने आर्थिक संकट आ सकता है जिसके कारण वह जमीन नहीं बो सकता और किसी के सामने शारीरिक कष्ट आ सकता है जिसके कारण वह जमीन नहीं जोत सकता। इन दोनों परिस्थितियों में यदि हम जबरदस्ती यह कहें कि तुमको जमीन काश्त करनी पड़ेगी तो मैं कहूँगा कि इससे उस आदमी को राहत नहीं मिलेगी, इससे उसको राहत नहीं बल्कि आहत पहुँच सकती है। तो रूल्स के अन्दर यह होना चाहिये कि विशेष परिस्थितियों में भूदान बोर्ड के बिना इजाजत के सबलेट कर दे। यदि इजाजत से मतलब यह है कि सबलेट करते समय बोर्ड की पर्मिशन ली जाय तो मैं इस प्रकार से इसे स्वीकार कर सकता हूँ कि महज एप्रूवल भूदान बोर्ड की सबलेट के लिये ले ली जाय। इसमें भूदान यज्ञ बोर्ड को इत्तला

[श्री भैरूँसिंह (वि० स० १६)

दी जा सकती है कि किन परिस्थितियों के कारण मैंने इसे सबलेट कर दिया है। लेकिन स्वीकृति से पूर्व, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, राजस्थान में फसल १ बार होती है या दो बार होती है, जहाँ बरानी जमीन है वहाँ साल में १ बार होती है और जहाँ चाही जमीन है वहाँ दो बार हो जाती है; वर्षा के दिनों में यदि किसान के ५-१० दिन भी फालतू चले जाते हैं तो फिर फसल होना कठिन हो जाता है, फिर तो भूमिहीन किसानों को भूमि देना और उसके जरिये उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करना; ये सारी चीजें ऐसी है कि कुछ परिस्थितियों में ऐसा होना चाहिये कि जिससे वे सबलेट कर सकें। इसलिये मैं आशा करूंगा कि सबलेटिंग के लिये रूल्स बनायेंगे और उन रूल्स का जिक्र इस क्लॉज़ में ही आ जाय तो ठीक रहेगा, बनिस्पत इसके कि और कहीं।

मैंने इस क्लॉज़ के पार्ट बी. में रूल्स बनाने का संशोधन पेश किया है, उसे स्वीकार कर लिया जावे ताकि इसी क्लॉज़ के मातहत रूल्स बन सकें और उनको राहत मिल सके।

श्री भोगीलाल पंड्या— मुझे दुःख है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा करने से भूमि-हीन किसानों को सहायता देने का जो असली मकसद है उसके विपरीत चला जाता है। ऐसे नियम बना दिये तो हो सकता है कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करें और एन टाइम पर वह (जमीन) दूसरे के पास चली जायगी। इसलिए मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री भैरोंसिंह के संशोधन को स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

श्री भैरोंसिंह का संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री हरिदेव जोशी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है और जिसे माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है, उसकी स्वीकृति दी जाय।

(स्वीकृत)

श्री जोशी का संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

Page No.59

[श्री उपाध्यक्ष]

The question is clause 14A, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 14 A, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

क्लाज १४ (बी) पर श्री भैरोंसिंह का संशोधन है।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 14B:—

"Insert the words ' after giving full opportunity to the lessee to be heard and' between the words 'may' and 'after".

माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज १४ बी के अनुसार जब कोई व्यक्ति जिसे कि भूदान यज्ञ द्वारा जमीन दी गई है, क्लॉज़ १४ ए में दर्ज की गई शरायत के माफिक काम नहीं करता है, काश्त नहीं करता है तो भूदान यज्ञ बोर्ड को अधिकार है कि तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफीसर को लिखें और वह तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफीसर उस व्यक्ति से जिसने कि शरायत की पाबन्दी नहीं की, उस जमीन का कब्जा छुड़ा कर भूदान यज्ञ बोर्ड को कब्जा दिला दे।

मेरा संशोधन यह है कि तहसीलदार या रेवेन्यु ऑफीसर उचित कार्यवाही जो समझे वह तो करे किन्तु उससे पहले जिस व्यक्ति की जमीन पर भूदान यज्ञ बोर्ड को जो कब्जा दिलाया जा रहा है, उस व्यक्ति की पूरी सुनवाई करे उसकी डिफेन्स की सुनवाई का उसको मौका दिया जाय।

एक आदमी की गलती इतनी भी हो सकती है कि बरसात की मौसम में लूला-लंगड़ा होने से अपनी जमीन पर दूसरे से काश्त करवा ले और किसी ने भूदान यज्ञ के पास शिकायत की कि इसने दूसरे से काश्त करवा ली है तो इस पर भूदान यज्ञ बोर्ड तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफीसर को लिखेगा कि इस शख्स ने अपनी जमीन दूसरे को काश्त करने के लिए दे दी है इसलिए इसकी जमीन पर भूदान यज्ञ बोर्ड को कब्जा दिलाया जावे और इस क्लॉज में यह है कि वह रेवेन्यु ऑफीसर जो उचित कार्यवाही समझे वह करे और कब्जा भूदान यज्ञ बोर्ड को दिला दे। इससे बड़ी गड़बड़ी होगी।

इसमें यह कहा जाता है कि किन्हीं परिस्थितियों के वश अगर किसी दूसरे को काश्त करने के लिए जमीन दी तो उसे पहले भूदान यज्ञ बोर्ड की इजाजत लेनी चाहिये थी। लेकिन कई ऐसी

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि वह पहले बोर्ड की इजाजत नहीं ले सके। तो ऐसी स्थिति में इस कानून के अनुसार तहसीलदार या रेवेन्यु ऑफीसर उस व्यक्ति से उस जमीन का कब्जा छुड़ाकर भूदान यज्ञ बोर्ड का उस पर कब्जा करवा सकता है।

और भी कई बातें हो सकती हैं, परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा भूदान यज्ञ के कानून की अवहेलना हो सकती है, उसके अनजाने में अवहेलना हो सकती है। इसलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है कि कभी किसी से इस कानून के मातहत जमीन छुड़ाई जाय या जमीन छुड़ाने की कोई कार्यवाही की जाय तो तहसीलदार या और कोई रेवेन्यु ऑफीसर मुकर्रर किया जाय तो उसके लिए यह कायदा होना चाहिए कि उस आदमी की पूरी सुनवाई करे, डिफेंस ले और डिफेंस विटनेस सुनने के बाद अगर यह पाया जाय कि उसने वास्तव में गलती की है तो वैसी हालत में उचित हो सकता है कि उससे उस जमीन का कब्जा छुड़ाकर भूदान यज्ञ बोर्ड का उस जमीन पर कब्जा दिलाया जाय। इसके लिए मेन्डेटरी प्रोवीजन होना चाहिए। जितना उचित समझे उतना ही रखा गया तो कोई रेवेन्यु ऑफीसर इतना ही माकूल समझ सकता है, कि किसी आदमी की शिकायत पर, क्योंकि गाँवों में आजकल चुगलों की तो कमी नहीं, तहसीलदार या रेवेन्यु ऑफीसर यह समझेगा कि किसी बड़े आदमी की शिकायत किसी बड़ी संस्था के मार्फत मेरे पास आई है तो वह उस जमीन पर कब्जा भूदान बोर्ड का करवा सकता है। जो कमेटियाँ बनाई उनमें भूदान को प्रेरणा देने वाले लोग आवश्यक होते हैं, उन आदमियों का इस प्रकार के भूदान बोर्ड में अभाव होगा और मुझे तो भय है कि जिसको जमीन दी गई है और जिससे जमीन ली गई है उन लोगों में संघर्ष हो जाय और इसमें वे लोग जिनसे कि जमीन ली गई है वे इस बात के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, इस बात की कोशिश में रहेंगे कि रेवेन्यु ऑफीसर के जरिए या तहसीलदार के जरिये अपनी जमीन पर दुबारा कब्जा कर ले।

इन सारी गलतफहमियों के निराकरण के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि जिस आदमी की जमीन पर भूदान बोर्ड का कब्जा कराया जाय उसको पूरा यह हक होना चाहिये कि रेवेन्यु आफीसर के पास अपनी डिफेंस विटनेस पेश करे, अपने सबूत पेश करे। इस तरह पूरी जाँच करने के बाद, उसको डिफेंस का पूरा मौका देने के बाद यदि रेवेन्यु ऑफीसर को तसल्ली हो जाय कि उसके द्वारा भूदान के नियमों की अवहेलना हुई है तो वह उस जमीन पर भूदान का कब्जा करवा सकता है। महज "deems fit" रखने से तो वह चाहे किसी की भी रिपोर्ट पर, पटवारी की रिपोर्ट पर अथवा पटेल की रिपोर्ट पर भी भूदान का कब्जा करवा सकता है। लेकिन मेरा संशोधन यह है कि "deems fit" की बजाय उसे पूरा मौका दे, उसे बुलाये और उससे कहे कि तुम्हारे खिलाफ ये विशेष एलीगेशन्स (allegations) लगाये जा रहे हैं अतः दस्तावेजी या मौखिक शहादत पेश करो। उसकी शहादत के बाद उसे तसल्ली हो जाय कि वाकई में कानून की अवहेलना हुई है तो उसका कब्जा हटा कर बोर्ड का कब्जा कराया जाय।

[श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)]

हर कानूनी कार्यवाही में यह आम प्रचलन है कि जब किसी पर किसी जुर्म के करने पर जुर्माना होता है या और किसी भी तरह का पनिशमेंट (दण्ड) मिलता है तो पहले उसको राइट होता है कि वह अपनी सारी की सारी डिफेन्स पेश करे, उसकी पूरी सुनवाई की जाती है। परन्तु, मुझे खेद है कि भूदान के कानून के द्वारा उसको सजा दी जाती है तो मुजरिम को डिफेन्स का मौका तक नहीं दिया जाता है।

मेरा यह संशोधन उचित है और इस औचित्य को स्वीकार कर लिया जाय, तो रेवेन्यु ऑफीसर से किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो सकेगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इसे स्वीकार कर लें तो उचित होगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ लिखा है:—

"After such enquiry as he may deem fit."

'After such enquiry' वाजिब होगी तब वह कार्यवाही करेगा। एक जिम्मेदार ऑफीसर से यह तो आशा नहीं की जा सकती कि वह महज़ एक पटवारी या पटेल की रिपोर्ट पर ही सारी कार्यवाही कर लेगा और उस व्यक्ति का कब्जा छुड़ा कर भूदान यज्ञ बोर्ड का कब्जा करवा देगा। फिर भी आपने जो बताया है कि—

"After giving full opportunity to the lessee to be heard and"

इसको मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—पूरा ही स्वीकार हो गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हाँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूंसिंह ने प्रस्तुत किया है और माननीय मन्त्री ने जिसे स्वीकार किया है उसकी स्वीकृत दी जावे।

(स्वीकृत]

स्वीकृति दी गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १४ बी, एज़ अमेंडेड, बिल में जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

Clause 14B, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

क्लॉज़ १४ (सी) । इस पर श्री तनसिंह अपना संशोधन प्रस्तुत करें ।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संशोधन इस क्लाज़ १४ सी में इस प्रकार है : "Insert the words' 'or his successor' between the words 'any person' and 'who has occurring in the first line of the clause."

माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज़ १४ सी भूदान यज्ञ को जब प्रवर समिति के सुपुर्द किया तो उसने यह नया क्लाज जोड़ा है। उसकी राय में यह आवश्यक समझा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जो १० वर्ष तक बराबर उस जमीन पर काश्त करता रहे उसको वह जमीन सुपुर्द की जावे, यानि १० वर्ष तक लगातार काश्त करने पर उस बोर्ड के सब हक समाप्त हो जावेंगे। इस निश्चय के अनुसार उन्होंने यह क्लॉज़ जोड़ा है। इसका अभिप्राय यह होता है कि जो व्यक्ति काश्त करता है वह खुद या उसके पीछे उसका वारिश जो कोई भी होगा उसको दस वर्ष के बाद वह जमीन मिलेगी। यदि वह व्यक्ति जिसको भूदान में जमीन मिली हो ६ साल के बाद मर जावे तो इस एक्ट की मन्शा के अनुसार वह जमीन काश्तकार की नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि क्लॉज १४ सी की मन्शा यह है। क्लॉज़ में "Any person" की डेफिनेशन में कुछ नहीं दर्ज किया गया है, जो होना बहुत जरूरी है। "Any person" का मतलब उस व्यक्ति का होना चाहिए जो उसका सक्सेसर हो। यह साफ नहीं है इसलिए मैंने यह अपना एमेंडमेंट रखा है।

श्री भोगीलाल पंड्या—अभी और भी संशोधन हैं।

श्री हरिदेव जोशी—माननीय उपाध्यक्ष, मैंनें अपना संशोधन इस क्लॉज़ १४ सी को डिलीट करने के लिए रखा है कि इस क्लॉज़ १४ सी को डिलीट कर दिया जावे। इसमें यह कहा है कि १० वर्ष तक किसान का अधिकार उस जमीन पर रहने पर वह जमीन किसान को मिल जाय। सिद्धान्त के तौर पर और जो कानून प्रचलित हैं वे इस क्लॉज़ के प्रतिकूल पड़ते हैं। आज जब हम समझते हैं कि जो किसान खेती करता है उसको हम राहत दें और वह अच्छी खेती करे तो किसान को यह शक नहीं रहना चाहिये कि जिस जमीन पर आज मैं खेती कर रहा हूँ यह जमीन १० वर्ष बाद मेरी रहेगी या नहीं। मैं यह समझता हूँ जिस समय किसान को जमीन दी जावे उसी समय उसको यह तसल्ली होनी चाहिए कि यह जमीन हमेशा के लिए मेरी है और इस पर हमेशा मेरा हक रहेगा। इससे यह होगा कि वह जमीन में सुधार करेगा। मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र ने जो संशोधन रखा है, उनका भी यही उद्देश्य होगा। जमीन तो लेण्ड रेवेन्यू लॉ के अनुसार जो काश्तकार हैं, उनके सरवाइवरों (survivors) को मिल ही जावेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस क्लॉज़ १४ सी को डिलीट करने से आप भूदान लेने वाले व्यक्तियों की एक प्रकार से मदद करेंगे और भूदान के

[श्री हरिदेव जोशी]

आन्दोलन को मदद करेंगे। आज जब यह क्लॉज़ रहेगा तो हमेशा के लिए उस व्यक्ति को, जिसको यह जमीन दी जावेगी उसके दिल में शंका रहेगी कि यह जमीन उसके पास रहेगी या नहीं! भूदान बोर्ड इस जमीन को उनके पास रहने देगा या नहीं; सरकार रहने देगी या नहीं? जब इस प्रकार की भावना पैदा होंगी तो लाखों लोगों ने जिस कार्य के लिए जमीन दी है उनके दिमाग में यह बात रहेगी। इसलिए शान्त स्थिति को बनाने के लिए आज ही हमें उन किसानों को अधिकार दे देने चाहिये। पिछले लोगों से कई बार ऐसा कहा जाता है कि आर. पी. टी. ओ. के कारण कब्जा कराया गया और वह जाता रहा है। जिस आदमी को हम जमीन देते हैं, जब तक उसको तसल्ली नहीं होगी कि यह जमीन उसी के कब्जे में रहेगी वह उस पर उन्नति के कार्य कैसे करेगा? आपने उसको सब-लेट (sub-let) करने का अधिकार तो पहले से ही नहीं दिया है, और इसके अलावा काफी विचार करने के बाद भूदान बोर्ड की जो गाँव में बाँटने की उत्कृष्ट प्रणाली है उसके द्वारा जमीन बाँटी जावेगी। इसलिये उसको अधिकार होना चाहिये कि वह अपनी जमीन पर सुधार करे। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ यह निवेदन करूँगा कि क्लॉज़ १४ सी को डिलीट कर दिया जावे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, मैं मेरे मित्र हरिदेव जोशी ने जो संशोधन रखा है इसके बारे में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भूमि भूमिहीन किसानों को दी जाती है, तो फिर भूमिहीन किसानों को जमीन देने के बाद सिद्धान्ततः उनको उस जमीन पर इम्प्रूमेंट करने का पूरा हक मिलना चाहिए और यदि १० वर्ष तक लोगों को यह भय रहेगा कि जमीन उनके पास रहेगी या नहीं तो वे उस जमीन पर कोई इम्प्रूमेन्ट नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में क्लॉज १४ सी डिलीट होने के काबिल है और इसको डिलीट कर दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूँ सिंह (१६)

श्री भैरूँ सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, जैसा मेरे माननीय मित्र श्री हरिदेव जोशी ने जो एमेंडमेन्ट रखा है, उसके बारे में माननीय मन्त्रीजी की राय मालूम हो जावे तो उसके बाद में अपने संशोधन पर प्रकाश डालना उचित समझूँगा।

Page No.64

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं श्री हरिदेव जोशी के संशोधन को मन्जूर करता हूँ; इससे तीनों संशोधन की पूर्ति हो जाती है और किसानों को भी राहत मिलती है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंहजी ने रखा है.........

श्री तनसिंह—जब क्लॉज़ को ही डिलीट करने के लिए सरकार ने मन्जूर कर लिया है तो फिर मेरे संशोधन की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री तनसिंह अपना अमेंडमेन्ट वापिस लेने की अनुमति चाहते हैं। क्या हाउस की अनुमति है कि उन्हें एमेन्डमेंट वापिस लेने की अनुमति दी जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री तनसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरूँसिंह।

श्री भैरूँसिंह—मैंने अपना अमेंडमेन्ट मूव ही नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिदेव जोशी ने क्लॉज़ १४ सी को डिलीट करने का रखा है और मिनिस्टर उसको मन्जूर कर चुके हैं, क्या हाउस की अनुमति है?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

Clause 14 C is deleted.

श्री उपाध्यक्ष—१४ डी, श्री भैरूँसिंह।

श्री भैरूँसिंह—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 14 D :—

"Delete this clause"

मैं समझता हूँ कि मेरे कुछ कहने से पूर्व ही माननीय मन्त्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, इसको डिलीट करने के लिए श्री हरिदेवजी जोशी और श्री भैरूँसिंहजी के प्रस्ताव हैं और मैं उनको स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूंसिंहजी ने उपस्थित किया और मिनिस्टर महोदय ने स्वीकार किया उसकी अनुमति दी जावे ?

(स्वीकृत)

The amendment is accepted and as such Clause 14 D is deleted.

(विराम)

Clause 15. Shri Harideo Joshi.

श्री हरिदेव जोशी—"Add the following proviso to Clause 14 :—

"Provided that if the Board is unable to allot any land vesting in it or to use such land for any Community purpose, it shall have the power to exchange such land with other suitable land, or to sell it in order to purchase another land for being distributed according to the provisions of this Act."

उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि कई बार कोई ऐसी जमीन भूदान में मिल जाय कि जो आबादी के नजदीक न हो अथवा ऐसी हो कि जो खेती के काम में न आ सके और वह दूसरे उपयोग में आ सके, वह किसान के उपयोग में न आ कर दूसरों के उपयोग में आ सके, तो भूदान बोर्ड को यह अधिकार हो कि उसको बेच कर उसकी एवज में दूसरी जमीन ले सके। इससे यह होगा कि जरूरतमन्द को जमीन मिल जायगी, यदि कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट काम आई तो आ सकेगी। इसलिए भूदान बोर्ड को यह अधिकार होना चाहिये इस प्रकार की जमीन को वह बेच कर दूसरी जमीन उसकी एवज में प्राप्त कर सके अथवा जिस प्रकार से वह उचित समझे उसका उपयोग कर सके। मैं समझता हूँ कि यदि यह प्रोविजो स्वीकार कर लिया गया तो काफी मददगार होगा।

श्री ईश्वरीसिंह—भू-दान में जदी जमीन दी जाय तो वह काम की न होगी तो कौन लेगा ? ऐसी जमीन देवा की जरूरत हो नहीं। जमीन ऐसी दे और फिर भूदान वाला उसे बेचे ऐसी क्यों नौबत आनी चाहवे।

श्री भैरूंसिंह (दाँता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, अभी माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया उसके विरोध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्षजी, भूदान यज्ञ की जो मन्शा है उसमें दर्ज किया गया है कि :

"to facilitate the activities in connection with the Bhoodan Yagna initiated by Shri Acharya Vinoba Bhave and to provide for the constitution of a Bhoodan Yagna Board, the donation of land to the said Board, the **distribution of lands** received in donation to landless persons and to provide for matters ancillary thereto."

[श्री भेरूँसिंह]

माननीय उपाध्यक्षजी, जो माननीय सदस्य ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है वह इस बिल की उस विचारधारा के प्रतिकूल है। इस विचारधारा में यह है कि हमको एक कानून बनाना है। किस गर्ज के लिए? भू-दान यज्ञ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। दूसरे लोगों से जमीन लेना और दूसरे लोगों को तक्सीम करना, यह इस बोर्ड का उद्देश्य है। इसके बीच में जो जमीन मिली है उसको बेचना और उसकी एवज में नई जमीन लेने का कोई तजकरा नहीं है। मंशा स्पष्ट है कि एक आदमी के एक हाथ से पाँच बीघा जमीन ली और जिसके पास जमीन नहीं है उसको दूसरे हाथ से बाँट दी तो यहीं भू-दान का कार्य सम्पूर्ण हो जाता है। इस प्रस्ताव की मन्शा के अनुसार यदि सम्पूर्ण होने से पूर्व एक अधिकार दे दें कि वह जमीन जो दान में मिली है काम में न ला सके, अलॉट न की जा सके, उसको किसी कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के काम में न ला सके या वह किसी प्रकार उपयोग में न आ सके तो उसके लिए भू-दान यज्ञ बोर्ड को अधिकार होना चाहिए कि उसको बेच दे, उसकी एवज में दूसरी जमीन ले ले और फिर बोर्ड द्वारा स्वीकृत किसी प्रोसीजर के अनुसार अलॉटमेंट के जरिये से या किसी जरिये से लोगों को देकर काश्त कराये। माननीय उपाध्यक्षजी, इससे यह हो सकता है कि यदि अधिकार इस प्रकार का हुआ तो उस अधिकार के जरिये से उसका दुरुपयोग न करके एक्सचेंज (exchange) में करप्शन को जन्म दे सकता है। कंसोलिडेशन का बिल पास किया गया इसी सदन से, उसमें जमीन के उथल-पुथल के सम्बन्ध में क्या अड़चनें आवेंगी, किस तरह से करेंगे, आदि अड़चनों को सरकारी पक्ष की ओर से और विरोधी पक्ष की ओर से महसूस किया गया कि इस प्रकार की जमीन के एक्स्चेन्ज में जितनी सावधानी बरती जानी चाहिए, बरती जाय। भू-दान में दान लेने का जो तरीका है उसमें तहसीलों की मदद होगी और यदि उनको एक्स्चेन्ज करने का अधिकार दे दिया गया तो मैं समझता हूँ कि दुरुपयोग होगा और सारा का सारा विश्वास के साथ यह कह भी देंगे कि भू-दान में जो काम करने वाले हैं उससे करप्शन नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि यदि बोर्ड को अदला-बदली का अधिकार दे दिया गया तो जिस करप्शन की घृणा का ढोल पीटा जाता है वह ज्यादा बढ़ेगा। हमारा तो यह काम है कि दूसरों से जमीन ली, प्रेरणा से ली, उस भूमि को बाँटे, यदि उपयोग में न लावें तो रेवेन्यू ऑफिसर को लिख दें। वह लेन्ड युटिलाइज़ेशन के अन्तर्गत उस जमीन को, जिसके पास जमीन नहीं है भू-दान के जरिये उसको अलॉट करावे। एक तरफ राजस्थान में आवाज लगाते हैं कि भूमि की कमी है और जब दान में मिली हुई भूमि को बोर्ड अगर काम में नहीं लाता है तो मैं यह स्पष्ट कहूँगा कि बोर्ड की नाकाबलियत है, नातजुर्बेकारी है और यही दलील होगी कि बोर्ड ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। जो दान देगा उसके खयाल में यह नहीं आ सकता कि वह जो जमीन देगा वह बेकार पड़ी रहेगी। अगर कोई अड़चनें पैदा हुईं और खास तौर पर जिस जमीन को बोर्ड बेचना चाहेगा और उसमें इस कानून के जरिये अड़चनें पैदा होंगी तो दूसरे लोगों को इससे फायदा मिलेगा। जमीन की अदला-बदली में बोर्ड की आड़ में दूसरे लोगों को नुक्सान पहुँचाया जा सकता है; एक आदमी को नुक्सान होगा और एक आदमी को उससे फायदा पहुँचेगा। अतः माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस चीज़ को स्वीकार न किया जाय। हमारे सामने तो एक सवाल है कि जमीन

[श्री भैरूँसिंह]

किसी एक से ली और जमीन किसी एक को बाँट दी। इसमें दूसरी कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि श्री हरिदेवजी ने जो अमेंडमेंड रखा है वे उसको वापिस ले लेंगे।

श्री भोगीलाल पंड्या—यदि माननीय मित्र ने, दूसरा अमेंडमेंड जो आने वाला है उसको पढ़ लिया होता तो इतना कहने की आवश्यकता ही नहीं होती।

श्री हरिदेव जोशी--उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १५ के बाद में एक क्लॉज १५ ए और जोड़ने का मेरा संशोधन है और वह यह है कि "Add clause 15 A as follows :—

"If the Board cannot distribute any donated land in accordance with the scheme it shall transfer such land to the State Government."

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे मित्र ने मेरे संशोधन के बारे में कुछ कहा है। इस सिलसिले में मुझे निवेदन करना है कि कई बार प्रेक्टिकल कठिनाई होती है कि यदि कोई जमीन मिले और वह जमीन ऐसी मिले कि आधा बीघा हो और वह आधे बीघा का टुकड़ा जो दूसरी जमीन उसको मिली उससे दूर हो जहाँ कि भूमिहीन किसान को भूमि या खेती न हो तो वह वहाँ खेती करने कैसे जायगा? अतः मेरा निवेदन है कि इस संशोधन से तो सुविधा मिलेगी, कठिनाई पैदा नहीं होगी। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि भले कामों में करप्शन दिखाई देता है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह अच्छी नीयत से अच्छा काम किया जा रहा है, उसमें बुरी भावना सोचना अच्छी बात नहीं है। प्रेक्टिकल कठिनाई को महसूस करके ही यह संशोधन रखा गया है। अब १५ ए में जो संशोधन रखा गया है उसकी मन्शा यह है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाय तो वह भूमि गवर्नमेंट को ट्रान्सफर कर दे और भू-दान यज्ञ उस जमीन को नहीं रखे। मैं आशा करता हूँ कि मेरा प्रोविज़ो और १५ ए दोनों स्वीकार कर लिये जावेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, प्रोवीज़ो १५ ए के एडीशन के सपोर्ट में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जहाँ तक भू-दान यज्ञ का प्रश्न है; यह श्रीमद्भागवत् गीता के इस श्लोक पर आधारित है :

दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्॥

श्री विनोबा भावे द्वारा संचालित यह आन्दोलन देश, काल और पात्र के सिद्धान्त के आधार पर गाँव-गाँव में भ्रमण करते हुए, इस प्रकार के दान को स्वीकार करते हुए उसका डिस्ट्रिब्युशन करना है। इस प्रकार यह जो सात्विक कार्य है उसमें तामसिक भावनाओं का लेशमात्र भी ख्याल नहीं होना चाहिये। रहा सवाल इसकी प्रेक्टीकेबिलिटी के सिलसिले में, तो मैं उसके सम्बन्ध में निवेदन करूँ कि किसी व्यक्ति ने भू-दान आन्दोलन से प्रेरित होकर अपनी एक बीघा जमीन जो किसी कस्बे या टाउन के पास है भू-दान यज्ञ में दे दी। आगे चलकर गवर्नमेंट यदि टाउन इम्प्रूवमेंट की कोई

[श्री श्रीदास गोयल]

स्कीम बनाती है और उस स्कीम में वह उस भूमि को भी लेना चाहती है। इस तरह से उस भूमि में काश्त भी नहीं हो सकती लेकिन कीमत अच्छी उठाई जा सकती है। या तो उस एक बीघा जमीन को यों ही छोड़ दिया जाय या उसकी कीमत वसूल करके भूमिहीन किसानों की दयनीय दशा को सुधारने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इनमें से कौनसा श्रेयस्कर मार्ग होगा यह माननीय सदस्य, जिन्होंने इस पर आपत्तियाँ उठाई है, वे विचार करेंगे।

दूसरी बात यह है कि ऐसी भी भूमियाँ हो सकती हैं जो जंगल में हों, ऐसी भी जमीन हो सकती है जो दो-चार बीघा हो और उसके आसपास १०० बीघा जमीन काश्तकारों से घिरी हुई हो तो ऐसी हालत में जो दो-चार बीघा जमीन देने वाला है उसको डिस्करेज नहीं किया जा सकता और उसको यह तो नहीं कह सकते कि हम तुम्हारा दान नहीं लेंगे। ऐसे केसेज़ जो हैं उन पर काश्त करने के लिए काफी रुपया भी खर्च आ सकता है। ऐसी हालत में उस भूमि को ट्रान्सफर किया जा सकता है, उसको सेल ओफ किया जा सकता है और उससे जो पैस आता है उसके द्वारा भूमिहीन किसानों के लिए नई जमीन का प्रबन्ध किया जा सकता है। इसलिए मैं, प्रोवीजो जो एड किया जा रहा है, उसका समर्थन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री भैरूँसिंह द्वारा उत्तर देने के लिये खड़े होने पर) No right of reply.

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—प्रोवीजो जो प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष, जो दूसरा संशोधन श्री हरिदेवजी जोशी ने रखा है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ और साथ में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसलिये ऊपर का प्रोवीजो हटा लिया जाय। इस प्रोवीजो द्वारा, जिसका मत बिल्कुल स्पष्ट है, जिस भूमि को काश्त के लिये अलोट नहीं कर सकते उस पर सरकार का कब्जा हो और सरकार के पास ऐसे कई कानून हैं जिनके जरिये वह दूसरों को जमीन दे सकती है। भूदान यज्ञ बोर्ड का काम जमीन लेने का और भूमिहीन किसानों को जमीन देने का है। अगर उनको भूमिहीन कोई नजर नहीं आते हैं तो वह बोर्ड भूमिहीन सरकार को मानकर वह भूमि सरकार को सुपुर्द कर दे और फिर सरकार तलाश करे कि किस व्यक्ति को भूमि देना है। भू-दान स्पिरिट को एनकरेज (उत्साहित) करना है, यह तभी कर सकते हैं जब आप इस प्रकार का प्रोवीजो न रखें। भूदान बोर्ड का मुख्य काम है जमीन लेने का। देश भर के लोगों में भूमिदान करने की स्पिरिट जगाना इस प्रकार की विचारधारा लोगों में पैदा करना है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा भूमि इस भूदान में दें और लोगों के दिमाग में इस प्रकार की प्रेरणा पैदा करे जिस प्रेरणा के प्रभाव से लोग ज्यादा से ज्यादा भूमि दें। अगर उसके पास बेचने का अधिकार रहा तो जो स्वस्थ विचारधारा उन लोगों में रहेगी उसमें अड़चन पैदा होगी। मेरा यह निवेदन है कि मेरे इन विचारों को माननीय मन्त्री जरूर मन्जूर करेंगे। आगे का क्लॉज़ स्पष्ट है। जब कि भूदान की विचारधारा सात्विक है

[श्री भैरूँसिंह]

तो उसमें तामसिक वृत्ति का लेशमात्र भी समावेश नहीं होना चाहिये। आज आपके सामने सात्विक-तामसिकता का इम्तिहान है। अब हम आपसे आशा करते हैं कि आप सात्विकता भरे अमेंडमेंट को स्वीकार करते हैं या तामसिक वृत्ति को अपनाने के लिए बोर्ड को प्रोत्साहन देते हैं या आप दोनों सात्विक और तामसिक दोनों भावनाओं को स्वीकार करते हैं। एक बीघा जमीन की जो बात मेरे माननीय मित्र ने कही उससे तो साफ यह पता चलता है कि आप तामसिक विचार लाना चाहते हैं, इस प्रकार से उस जमीन को बेचकर। आप यह आशा करते हैं कि ऐसी भूमि जो शहर या कस्बे के पास आ जाती है उसको यदि लोकल डेवेलपमेन्ट स्कीम में लिया जाय तो उसकी आप ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करने की कोशिश करेंगे। तो यह एक प्रकार से आपकी तामसिक भावना रहेगी। आप उस जमीन की जो कोई भी ज्यादा कीमत देगा उसको बेचने की कोशिश करेंगे। भू-दान यज्ञ की मन्शा है लोगों से भूमि लेना और भूमिहीन लोगों में उसको तकसीम करना। जमीन लेकर, बेचकर उसकी आमदनी बढ़ाने की तो भूदान की मन्शा नहीं है। जो छोटे से टुकड़े को ले ले और किसी लेन्ड होल्डर को तकसीम कर दे या बेच दे, यह तो उसकी मन्शा नहीं है। भूमि लेकर लेन्डलेस टीनेन्ट को वह दी जाय। जैसे 'लेन्डलेस' की परिभाषा की गई है उसी के अनुसार उस भूमि को वैसे व्यक्ति को बाँट दें। जो लोग भूखे हैं या बेकार हैं उनको तो रुपयों से राहत पहुँचाई जा सकती है, यह तो आप जब अनएम्प्लोयमेंट को दूर करने की स्कीम रखें तो यह सोचा जा सकता है। इस विचारधारा को भूदान के साथ सम्बन्धित करना ठीक नहीं होगा। किसी जमीन को भूदान में लेना और उसको अच्छी से अच्छी कीमत में बेचना और पैसे बटोरना; ये जो सारी चीजें हैं उनको छोड़ देना चाहिये। यदि हम ऐसा करते हैं तो इस दान में तामसिकता व्याप्त हो जायगी। हमें तो ऐसी बुराइयों को दूर करना चाहिये। बुराई करने का तरीका अभी मेरे माननीय मित्र ने बताया कि डेवलपमेन्ट की स्कीम में उस एक बीघा जमीन को बेच दिया जाय और उससे जितना ज्यादा रुपया वसूल किया जाय भूदान बोर्ड को मिले। यह एक प्रकार से तामसिकता लाने जैसी ही बात हुई। अगर हम तामसिकता और सात्विकता पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो यह जो प्रोवीजो एड किया जा रहा है वह तामसिकता लाने वाला है। अगर आप तामसिकता लाने के नाम पर ही इस प्रोवीजो को एड करेंगे तो आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या--माननीय उपाध्यक्ष, मेरे माननीय मित्र को सब जगह भ्रष्टाचार, अविश्वास ही अविश्वास क्यों दिखाई देता है? अगर भूदान बोर्ड में स्वार्थी आदमी भरती हो जायेंगे तो वह अपने आप खत्म हो जायगा। पहले मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाने का प्रयत्न करूँगा।

"Provided that if the Board is unable to allot any land vesting in it or to use such land for any Community purpose, it shall have the power to exchange with other suitable land" पहले तो एक्सचेन्ज की बात है, फिर "or to sell it in order to purchase another land for being distributed according to the provisions of this Act."

[श्री भोगीलाल पंड्या]

अगर जमीन खेती करने योग्य नहीं है तो ऐसी भूमि भूमिहीन किसान को नहीं दी जायगी। वह भूमि भूदान यज्ञ बोर्ड अपने पास रख लेगा। पैसा देने का है नहीं, जमीन देने का है। अगर ऐसी विशेष परिस्थिति हो कि जमीन काश्त के योग्य नहीं तो उसको भूदान बोर्ड अपने पास रखेगा........

श्री भैरूँसिंह—बेचने में पैसे की बात अपने आप आ जाती है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं भाई हरिदेवजी के संशोधन को स्वीकार करता हूँ और माननीय मित्र से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इसमें अविश्वास नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री हरिदेव जोशी ने जो क्लॉज १५ के अन्दर अमेंडमेंट रखा है और जिसे मिनिस्टर इन्चार्ज ने स्वीकार कर लिया है उसे सदन स्वीकार करे।

(स्वीकृत)

संशोधन को स्वीकार किया गया।

(विराम)

The question is that Clause 15, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 15, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Now, Clause 15 A.

श्री हरिदेव जोशी--संशोधन इस प्रकार है : यह १५ ए नया एड किया जावे :

"If the Board Cannot distribute any donated land in accordance with the scheme it shall transfer such land to the State Government."

श्री भोगीलाल पंड्या--मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—१५ ए का जो नया प्रोवीज़ो तजवीज हुआ है और जिसे मिनिस्टर इन्चार्ज ने स्वीकार किया है, क्या सदन की अनुमति है कि इसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

A new Clause 15A, is added to the Bill.

(विराम)

Clause 16.

(विराम)

The question is that Clause 16 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 16 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 16 A.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ ए स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

Clause 16A is added to the Bill.

(विराम)

Clause 16 B

(विराम)

इस पर संशोधन है। श्री हरिदेव जोशी।

श्री हरिदेव जोशी—उपाध्यक्ष महोदय, अब जो मौजूदा १६ बी है उससे पहले मैं यह जोड़ने के लिए निवेदन करता हूँ :

"**Partition of holdings.**—If the land gifted to the Board forms the part of a holding, the Board or the tenant concerned may apply in a competent revenue court or officers for possession and such court or officer may in accordance with the tenancy law for the time being in force, partition the holding and demarcate the land and apportion the rent" And second, the existing clause 16 B be renumbered as 16C.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूँ कि इससे एक प्रकार से काम करने का तरीका निश्चित हो जावेगा और इसके बाद में कोई गलतफहमी नहीं रहेगी कि अगर उसको जमीन चाहिये

[श्री हरिदेव जोशी]

या देनी है तो उसको जमीन के बारे में क्यों और किस अधिकारी के पास जाना चाहिए। इसलिए निवेदन करता हूँ कि इसको सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जावे।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय हरिदेवजी ने जो अपना संशोधन रक्खा है वह बिलकुल ठीक है। पर इसमें भी मैं एक खामी देखता हूँ। अभी-अभी हमने कन्सोलिडेशन का कानून पास किया है और उसमें यह स्वीकार किया है कि किसी भी कोर्ट की डिग्री के द्वारा कोई भी ऐसा टुकड़ा किसी भी होल्डिंग से अलग नहीं किया जा सकता जो फ्रैगमेन्टेशन की डेफीनिशन में आता है। पर इसमें होल्डिंग का पार्ट है और उसका कब्जा करने के लिए रेवेन्यू बोर्ड में कब्जा कराने की दरख्वास्त देता है और ऐसा वह करता है तो क्या इस पर कन्सोलडेशन एक्ट का असर होगा या नहीं? अगर होगा तो क्या कार्यवाही इसके पक्ष या विपक्ष में भूदान यज्ञ बोर्ड करेगा? तो इस कन्सोलिडेशन एक्ट से किस तरह से बचाव होगा, यह आप पहले सोचें तब यह संशोधन स्वीकार किया जावे तो अच्छा हो।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी यह विवाद पैदा हुआ कि यह मौजूदा कन्सोलिडेशन एक्ट के प्रोविजो के सिलसिले में एप्लीकेबल होगा या नहीं तो टीनेन्सी लॉ एग्ज़िस्टेन्स (existence) में है। टीनेन्सी लॉ जितने भी हैं स्वभावतः वे सभी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। इसको इन्टरप्रेट करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता कि किसी तरह का ख्याल किया जावे और कन्सोलिडेशन होल्डिंग का जो लॉ है उससे गवर्न होते हुए ही एप्लीकेबल हो सकेंगे। ऐसी परिस्थिति में टीनेन्सी लॉ के अन्तर्गत ही यह है और इसी के अन्तर्गत यह प्रोसीडिंग्ज़ भी आ गई।

श्री भैरोंसिह—यह फ्रैग्मेन्टेशन हो सकेगा, इसका मतलब यह हुआ क्या?

श्री भोगीलाल पंड्या—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिदेव जोशी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे। मिनिस्टर महोदय ने इसे स्वीकार किया है।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

तो इस संशोधन के मुताबिक १६ बी नया क्लॉज़ एड करने का है और जो पहले का १६ बी है उसको १६ सी स्वीकार करने का दूसरा संशोधन है।

[श्री उपाध्यक्ष]

तो पहला संशोधन जो कि मिनिस्टर ने स्वीकार किया है, अब प्रश्न उसके मुतल्लिक यह है कि जो नया संशोधित क्लॉज़ के रूप में हमारे सामने मोजूद है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

Clause 16B as proposed by amendment has been accepted. इसको स्वीकृति दी जाती है।

(विराम)

Existing clause 16B be renumbered as clause 16C.

यह संशोधन १६ बी के लिये है। क्या इसे हाउस की अनुमति है।

(स्वीकृत)

स्वीकृति दी गई। क्लॉज़ १६ बी जो अब संशोधित रूप में सी हो गया है प्रश्न यह है कि क्या इसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

Amended clause 16C is added to the Bill.

(विराम)

क्लॉज़ १७।

क्लॉज़ १७ पर संशोधन श्री हरिदेव जोशी का है।

श्री हरिदेव जोशी—क्लॉज १७ में मेरा निम्न संशोधन है :

"In clause 17 (2) (n) place 'comma' for the word 'and' in line 2 and add at the end the following :—

"dismemberment, change in the personnel and reconstitution of Tehsil Committees."

इसी तरह से आगे मेरा यह संशोधन है :

"Insert the following as 17 (2) (q) and re-number the existing 17 (2) (q) as 17 (2) (r) :—

[श्री हरिदेव जोशी]

'appointment of sub-committee or committees, and delegation of powers of such committees to individual members or office-bearers of the Bhoodan Yagna Board."

उपाध्यक्ष महोदय, पहला मेरा संशोधन 'कोमा' और 'एन्ड' का है। 'एण्ड' के बदले में 'कोमा' करने से स्पष्ट हो जाता है।

दूसरा यह है कि जिससे भूदान यज्ञ बोर्ड को यह अधिकार मिलता है कि वह तहसील कमेटियों के अन्दर थोड़ा चेन्ज करने का जो हमने अधिकार दिया है उसको स्पष्ट कर दिया जाता है।

तीसरा चेन्ज यह है आगे के संशोधन के अन्दर कि व्यक्तिगत को या कमेटी को जो अधिकार प्रान्तीय कमेटी उचित समझे डेलीगेट कर सके। इसका तात्पर्य यह है कि जब कभी काम आ पड़ने पर या ऐसा समय आने पर जब कि सभी जगह बड़ी कमेटी के पदाधिकारी या बड़ी कमेटी नहीं जा सके वहां तो ऐसे समय ऐसी सुविधा दी जावे छोटी कमेटियों को कि जो अधिकार-क्षेत्र उनको दिया गया है उसके अनुसार वे वहां अच्छी तरह से काम कर सकें ताकि सुचारु रूप से काम चलने में कोई रुकावट न हो और फिर आज जैसी साधारण तौर पर कागजों की लीपापोती होती है अथवा काम में देरी होती है वह न होकर वे साधारण तौर पर ठीक काम करते रहें, यह मेरे इस संशोधन की मंशा है। मेरी सदन से प्रार्थना है कि ऐसे संशोधन को वह स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 17 :—

"Insert the following new portions to sub-clause (2) :

(h) the procedure of making appointments of its employees;

(i) conditions under which sub-letting can be allowed."

माननीय उपाध्यक्षजी, इस भूदान यज्ञ बिल की क्लॉज़ ७ बी के मातहत जितने भी कर्मचारी भूदान यज्ञ बोर्ड के सम्बन्ध में आवश्यक होंगे उनकी नियुक्ति की जायगी। जैसा कि इस क्लॉज़ ७ में है कि :

"The Board may appoint such officers and servants as it may consider necessary for the efficient performance of its functions." बोर्ड को इस बात का

[श्री भैरूँ सिंह]

अधिकार दिया गया है कि वह बोर्ड जितना आवश्यक हो, जिन-जिन लोगों को वह चाहे उनको भूदान यज्ञ बोर्ड के कर्मचारियों के नाते नियुक्त करे। माननीय उपाध्यक्षजी, इस विषय पर आज ऐसी विचार-धारा व्यक्त की जाती है व भूदान यज्ञ की आज तक की कार्य प्रणाली को देखने के बाद जो कुछ लोगों में इसकी भावनाओं के बारे में प्रतिक्रिया हुई है उन भावनाओं को लेकर इस बात की विचारधारा व्यक्त की जाती है और अभी हाल में जो सर्वोदय सम्मेलन हुआ उस सर्वोदय सम्मेलन में मैं स्वयं तो नहीं गया, लेकिन हमारे विश्वसनीय आदमी जो उस जगह जाकर आये हैं और उन्होंने अपने अनुभव से तथा जो कुछ वहां प्रत्यक्ष में देखा है उन दोनों चीजों के आधार पर यह बताया है कि भूदान यज्ञ में जितने भी काम करने वाले व्यक्ति थे, जो कि कहा जाता है कि यह एक प्रकार का सात्विक काम है और जितने भी कार्यकर्त्ता होंगे वह कैसे होंगे तो सारे के सारे अवैतनिक होंगे और उन्होंने भूदान यज्ञ में जीवन-दान दिया है, बुद्धि-दान दिया है, श्रम-दान दिया है और तनख्वाह दान भी दिया है और इस प्रकार सारे के सारे अवैतनिक लोग हों, लेकिन जो ऑफिशियल रिपोर्ट प्रकाशित हुई है इस भूदान यज्ञ के दो साल के कार्यों की, उससे स्पष्ट होता है कि जिन्होंने भूमि-दान नहीं दिया उन्होंने श्रम-दान दिया है, लेकिन तनख्वाह-दान नहीं दिया है। उन्होंने जीवन-दान दिया है तो उसके सामने तनख्वाह का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। वह अवैतनिक है, ऐसा सर्वोदय सम्मेलन की प्रकाशित हुई ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना पड़ता है कि ४८४ एक प्रोविन्स में मुलाजिम हैं उनमें से ६४ अवैतनिक और बाकी सारे के सारे वेतन सहित काम करने वाले हैं। इतनी तादाद के अन्दर मुलाजिम रखने पड़ते हैं तो उन मुलाजिमों को रखने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जितने भी भूदान-यज्ञ के लिए कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे उनका एप्रूवल पी. एस. सी. से होगा, जो पी. एस. सी. से नियुक्त किये हुए आदमी भूदान जैसे आन्दोलन के कार्य को करेंगे। इन सर्विस रूल्स में कई चीजें हो सकती हैं जो इस कार्य के अन्दर अड़चन पैदा कर सकती हैं। पी. एस. सी. को नहीं भेजें तो भी नियुक्ति के, एप्वाइन्टमेंट के गाइडिंग प्रिन्सिपल्स होने चाहिये, कोई रूल्स होने चाहिए। जिन रूल्स के मुताबिक जो जो भी आदमी अपने आपको डिज़र्विंग समझते हैं या जिनको नियुक्त करने वाले डिज़र्विंग समझते हैं ऐसे आदमी अपनी एप्लिकेशन भेज सकें और इन्टरव्यू हो और उस इन्टरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो उस आदमी का एप्वाइन्टमेंट होता है। आज मैं स्पष्ट बताऊँगा कि उनकी चाहे कितनी ही सात्विक वृत्ति हो, वे बहुत बड़ी बात दिल में लेकर काम करें, उनके अन्दर एक अच्छी प्रेरणा होगी, लेकिन जब एप्वॉइन्टमेंट करने का सवाल आयेगा किसी आदमी का तो वह देखेंगे कि अपनी पार्टी का है, अपने मेल-जोल वाले का आदमी है, दूसरी पार्टी से उसका सम्बन्ध तो नहीं है, अपने खिलाफ दूसरी तरफ तो जाने वाला नहीं है; इस प्रकार की विचारधारा इनके मस्तिष्क में आयेगी, वे भावनाएं जगेंगी। उनके अन्दर तामसिकता आयेगी और इस तामसिकता से ओत-प्रोत होकर वह सारी की सारी नियुक्तियां होंगी। इस प्रकार की नियुक्तियों को गाइड करने के लिए, उसमें किसी प्रकार की बेजा हरकतें नहीं हों, उस कार्य में अविश्वास पैदा नहीं हो और उस अविश्वास में स्वस्थ वातावरण बनाने के लिये यह आवश्यक होता है कि एप्वाइन्टमेंट

[श्री भैरूँसिंह]

के बारे में किसी न किसी प्रकार के रूल्स बनाने चाहिए। भूदान यज्ञ बोर्ड को रूल्स बनाने का अधिकार हो कि जिस तरह के रूल्स चाहें वे बनायें। भूदान यज्ञ बोर्ड के जब रूल्स बन जायेंगे तो वे पब्लिश होंगे और हर आदमी को मालूम होगा कि वे रूल्स में कवर होते हैं या नहीं और अगर कवर होते हैं तो किन शर्तों पर भूदान-यज्ञ बोर्ड के मुलाजिम हो सकते हैं। लेकिन जब तक लोगों को मालूम नहीं हो कि इस प्रकार के रूल्स बने हैं तो अड़चन यों की यों ही बनी रहेगी। मैं स्पष्ट कहूँगा कि जो आदमी किसी विशेष दल से नाराज होकर चले गये हैं उन लोगों को वापिस खींचने के लिए, वापिस बुलाने के लिए तथा जो लोग आर्थिक या और कोई कारण से और कहीं जा रहे हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए यह चीज है कि उनको भूदान-यज्ञ में मुलाजिम किया जायगा और वह उसी दल के लोगों के एप्वॉइन्टमेंट के काम आयेगी। इसलिये नियुक्तियों के विषय में खास रूल्स होने चाहिए। उनका प्रोविजन होने से सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि भूदान यज्ञ में कोई मुलाजमत करना चाहता है तो इस प्रकार के रूल्स की पाबन्दी होगी, यह क्राइटेरिया है और अगर वह उस क्राइटेरिया को कवर करता है तो भूदान यज्ञ में मुलाजिम हो जाता है। इसलिए मेरा संशोधन है कि एप्वॉइन्टमेंट के बारे में भूदान यज्ञ बोर्ड को रूल्स बनाने का अधिकार होना चाहिए।

दूसरा मेरा संशोधन है कि सबलेटिंग हो सके, इस प्रकार के रूल्स बनाने का अधिकार होना चाहिए.........

श्री श्रीदास गोयल—केवल प्रश्न यह है कि एमेंडमेंट जो लिया गया है वह उचित है या अनुचित है। अगर अमेंडमेंट आप रूल्स वगैरह के लिए लाना चाहते हैं तो जो कुछ आप (श्री भैरोंसिंह जी) फरमा रहे हैं कि कुछ इर्रिलेवेन्ट (irrelevant) जा रहे हैं इस एमेंडमेंट से।

श्री भैरोंसिंह—इर्रिलेवेन्ट नहीं है, लेकिन सही होने के नाते मेरी बातें चुभती हुई हो सकती हैं।

मेरे मित्र अगर उसको ठीक प्रकार से पढ़ते तो रिलेवेन्ट और इर्रिलेवेन्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। एपोइन्टमेंट के बारे में रूल्स बनाने का अधिकार होना चाहिए, यह मेरा संशोधन है। उसको अधिकार दिया जा रहा है। अधिकार के दिये जाने पर अधिकार का सदुपयोग हो इसलिए रूल्स प्रेस्काइब करे और प्रेस्काइब्ड करने के बाद में लोगों को मालूम हो जाय कि भूदान-यज्ञ बोर्ड की मुलाजमत करना चाहते हैं तो उसके लिए इस प्रकार के रूल्स हैं, इस प्रकार का क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया के मातहत वह कवर होते हैं तो दरख्वास्त करेंगे और दरख्वास्त करने के बाद में फेयर कम्पीटिशन हो और उस कम्पीटीशन में वह सक्सेसफुल हो सके तो वह उसकी मुलाजमत में जा सकता है। मेरा संशोधन बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें किसी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं है।

[श्री भैरोंसिंह]

दूसरा जो मेरा प्रस्ताव है कि ;

"conditions under which sub-letting can be allowed." इस सम्बन्ध में काफी कह चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह दोनों प्रस्ताव इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों में मैंने माननीय मंत्री महोदय के सामने रखे थे, उनके ही आधार पर मेरा यह संशोधन है। उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस आशा से मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, एक मिनिट।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—आपने सब कुछ कह दिया है फिर आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—उन्होंने इस प्रकार कहा था कि जवाब कुछ नहीं रहता है, लेकिन मुझे अधिकार है। इस बारे में रिकॉन्स्टीट्यूशन ऑफ तहसील कमेटीज़ आदि के सिलसिले में पॉवर्स दिये गये हैं भूदान यज्ञ बोर्ड को जो कि एक सेन्ट्रल कमेटी है। जहां तक इस एमेंडमेंट का प्रश्न है कि कोई ऐसा व्यक्ति तहसील कमेटी में आ जाय कि जिसकी कोई अवहेलना साबित हो तो उनके लिए, गुंजाइश होनी चाहिए, उनसे यह अर्ज करें कि यहां से तशरीफ ले जायं। जैसा कि अन्त में था कि कोई प्रोवीजन नहीं है तो इस नये एमेंडमेंट से वह प्रोवीजन मिल जाता है और वह और भी ज्यादा पेटेन्ट बनता है। इसके साथ ही 'रिकॉन्स्टीट्यूशन ऑफ तहसील कमेटी' और 'चेन्ज इन दी पर्सोनल' दोनों ठीक हैं, मिलती-जुलती क्लॉजेज हैं जो इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाती हैं, काम के तरीके को ज्यादा सहूलियत देने वाली जल्दी डिसपोज़ करने वाली हैं। तमाम रास्ते खुले हैं। इस प्रकार से सेन्ट्रल भूदान यज्ञ बोर्ड में एमेंडमेंट आता है। यह बिल्कुल दुरुस्त है। सर्विस रूल्स वगैरह के नाते बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें कहने की गुंजाइश नहीं है। आपकी भावना है कि वह एक सारा नया डिपार्टमेंट खोल रहे हैं; वह पब्लिक सर्विस कमीशन से होना चाहिए, इन्टरव्यूज होने चाहिए, तो मेरा अधिकार था कि इस प्रकार से अपने एमेंडमेंट को लाऊँ और हाउस के सामने अपनी विचार-धारा प्रकट करूँ। जहां तक इस छोटे से एमेंडमेंट का सवाल है वह आवश्यक-सा एमेंडमेंट है। उसको स्वीकार किये जाने के बारे में इतनी हीलो हुज्जत की आवश्यकता नहीं और मैं आशा करता हूँ कि यह स्वीकार किया जाय।

श्री भोगीलाल पंड्या—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री भैरूँसिंह जी ने जो अपना अमेन्डमेन्ट रखा है उसके पक्ष में बोलते हुए न मालूम उन्होंने कितनी ही अविश्वास की बातें कहीं। जिस संस्था और जिस बोर्ड के अध्यक्ष विनोबा भावे जैसे तपस्वी नेता है और जिनकी देख-रेख में काम होगा उनके प्रति आपको अविश्वास होता है। यह अफशोस की बात है। आपने यह कहा

[श्री भोगीलाल पंड्या]

कि लोगों ने भूदान दिया, जीवन दिया तो मैं कहता हूँ कि लोगों ने वास्तव में जीवन-दान दिया है। आपको इसमें शक क्यों होता है? वे जीवन भर इसके लिये रचनात्मक काम करेंगे। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो वेतन नहीं लेते हैं; लेकिन आज यह आशा कैसे की जा सकती है कि जो लोग भूदान यज्ञ का काम करने के लिये निकले है वे अपने निर्वाह के लिये कुछ न लें। वे अपना सारा समय देकर काम करते हैं तो कुछ पैसा लेना बेजा नहीं है; जितने में उनका गुजारा हो सके उतना ही पैसा उनको लेना चाहिये और तन-मन से काम करना चाहिये। आप यह कहते हैं कि लोग श्रम-दान, भूदान, जीवन-दान देते हैं तो सभी कार्यकर्ताओं को भी वेतन दान करना चाहिये। जो लोग बिना कुछ लिये अपना निर्वाह चला सकते हैं वे बिना वेतन लिये ही काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होते हुए भी रचनात्मक काम करना चाहते हैं; तो ऐसे लोगों को कुछ वेतन दिया जाता है। आपने कहा कि पी०एस०सी०के समान रूल्स बनाकर नियुक्ति होनी चाहिये और मनचाहे जिनकी नियुक्ति हो जाती है और सुनवाई नहीं होती है। तो मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि रचनात्मक काम करने के लिए उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो किसी तरह की दलबन्दी में न फंसकर लगन के साथ काम करते हैं और बोर्ड के नियमों का पालन करते हैं; उन्हीं लोगों को रखेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है उसे वह वापिस ले लें। श्री हरिदेवजी के संशोधन को मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री भैरूँसिंह—(वि०स० १६) माननीय उपाध्यक्षजी, मंत्रीजी ने सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन उठाया वह यह था कि इसमें किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार या किसी अन्य तरह की कार्यवाही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसका कारण आपने बताया कि आचार्य विनोबा भावे की देख रेख में यह कार्य होगा। यह मैं मानता हूँ कि देखरेख करनेवालों के हृदय में यह बात नहीं है कि किसी तरह की गड़बड़ हो, लेकिन देखरेख करने वाले एक ही व्यक्ति हैं। आज भारत के प्रधान मंत्री नेहरूजी हैं, उनकी संस्था के वे प्रधान हैं। उन पर कोई आक्षेप नहीं लगा सकते कि उनके हृदय में कोई इस प्रकार की चीज हो; लेकिन उनकी पार्टी के बारे में आज बाजार में, चौपड़ पर, असेम्बली में और हर जगह हम एक ही बात सुनते हैं कि इस पार्टी में बहुत भ्रष्टाचार और बुराइयें हैं। यह पार्टी भी नेहरूजी की देख-रेख में चलती है और उन्हीं की देखरेख में काम करनेवाली है, फिर उसमें इतनी बुराइयें क्यों हैं? आज हम यह मानते हैं कि आचार्य विनोबाजी की कार्य प्रणाली से या उनकी प्रेरणा को लेकर कार्य करते हैं तो अच्छा हैं। उनके हृदय में छूआछूत, पक्षपात आदि की बीमारी नहीं है। लेकिन उनकी प्रेरणा लेनेवाले ४५४ कार्यकर्ताओं में से ६४ आदमी तो निस्वार्थ सेवा करते हैं और बाकी सारे के सारे वेतन लेने के लिये मुलाजिम हुए हैं। यदि इस चीज को आप मानना नहीं चाहते हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं और इसके विपरीत आप दलील देना चाहते हैं तो मेरे साथ मंत्रीजी चलें, जितने रचनात्मक कार्यकर्ता राजस्थान में हैं उनका काम देखें, तो आपको पता चलेगा कि उनके कैसे कारनामे हैं? (हीयर, हीयर) रचनात्मक कार्य करने के लिये दूसरे जितने आदमियों की दरख्वास्तें आईं वे सब खारिज हुईं। फिर भी आप कहते हैं कि पक्षपात नजर नहीं आयगा; लेकिन यह स्पष्ट है कि राजस्थान में जितने भी लोग भूदान का कार्य करने के हेतु लिये गये हैं वे सब पक्षपातपूर्ण नीति के कारण लिये गये हैं। आप

Page No.79

[श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)]

यदि उनकी सूची देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जितने भी कार्य-कर्त्ता हैं वे सब के सब कॉंग्रेस के चार आना सदस्य हैं और जो चवन्नी सदस्य नहीं हैं वे कॉंग्रेस के किन्हीं बड़े नेताओं की सिफारिश के कारण नियुक्त किये गये हैं और साथ ही साथ दूसरे लोगों की जितनी भी दरख्वास्तें थीं वे बिना कारण ही खारिज कर दी गईं। इसलिये यह जरूरी है नियुक्ति के बारे में कि रूल्स बनाये जावें और नियुक्ति होने के बाद इन्हीं रूल्स से वे गाइड हों। जब कि छोटी-छोटी फेक्ट्रीज में नियुक्ति के लिये रूल्स हैं, जब कि छोटे उद्योगों के लिये कानून है, जो मिलों में काम करते हैं उनके लिये कानून हैं, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिये कानून है, मामूली चपरासियों की नियुक्ति के लिये कानून हैं, रिक्शा चलाते हैं उनके लिये कानून हैं, साइकिलें चलाते हैं उनके लिए कानून हैं तो फिर जो भूदान यज्ञ आन्दोलन में काम करेंगे उनके लिये कानून क्यों नहीं है ? जिन्होंने जीवन-दान दिया है और जो अवैतनिक काम करते हैं उनके लिये भले ही ऐसे रूल्स की जरूरत न हो लेकिन जो वेतन लेकर काम करते हैं उनको प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है। रूल्स बनाना इसलिये भी ज़रूरी है कि यदि कोई भूदान-यज्ञ-आन्दोलन का कार्य-कर्ता कुछ गड़बड़ करता है और दूसरे कार्यकर्ता या बोर्ड के सदस्य किसी वर्कर (wooker) से नाराज हैं तो वे उन रूल्स के अंतर्गत उसको तुरन्त अलग कर सकते हैं। यदि कोई आदमी भूदान बोर्ड में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे कि उसको बर्खास्त करना जरूरी हो जाय तो उसके खिलाफ तुरन्त रूल्स के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी और दूसरी तरफ भूदान बोर्ड के मुलाजिमों की नियुक्ति हो सके, ऐसे दोनों तरफ के गाइडिंग प्रिन्सिपल उन रूल्स से होने चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर दुबारा, फिर से मन्त्री महोदय सोचेंगे तो उचित रहेगा। मैं आप से दुबारा कहूँगा कि श्री हरिदेवजी ने जो संशोधन रखे हैं उन्हीं के चौतरफ चक्कर न लगा कर दूसरों ने जो संशोधन रखे हैं उनके चौतरफ भी चक्कर आपको लगाना चाहिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—श्री हरिदेवजी का सन्शोधन में स्वीकार कर चुका हूँ। आपके भी जो वाजिब संशोधन थे उनको स्वीकार कर चुका हूँ। न मालूम आपका क्यों ऐसा ख्याल बन गया कि जितने लोग भूदान में काम कर रहे हैं वे सब कांग्रेस के चवन्नी सदस्य हैं। मैं ऐसे कई लोगों के नाम जानता हूँ जो चवन्नी सदस्य भी नहीं हैं...

श्री भैरूंसिंह—वे भी अब बन गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर डिबेट नहीं करना है।

श्री भोगीलाल पंड्या—वे चार आना सदस्य नहीं हैं। वे इस प्रेरणा से काम करते हैं कि भूमिहीन किसानों को भूमि मिले। इसलिये मैं कहूँगा कि आपका यह ख्याल ठीक नहीं है। आपके दूसरे संशोधन का उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ, इसलिये उसे बार-बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन क्लॉज़ १७ पर श्री हरिदेवजी ने उपस्थित किया और जिसको मन्त्रीजी स्वीकार करते हैं, क्या सदन को स्वीकृत है ?

(स्वीकृत)

श्री हरिदेव जोशी का संशोधन स्वीकार करने की स्वीकृति दी गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूंसिंह ने उपस्थित किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

श्री भैरोंसिंह जी का संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७, एज़, अमेन्डेड स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १७ विधेयक का अंग बना।

श्री भोगीलाल पंड्या—पाँचवाँ क्लॉज़ रह गया था, उसे भी ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज संख्या ५।

क्लॉज़ ५ पर श्री हरिदेव जी जोशी का संशोधन है।

श्री हरिदेव जोशी—मूव कर चुका साहब उस दिन।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—फर्दर कन्सीडरेशन के लिये रखा गया था।

श्री भोगीलाल पंड्या—अब मूव करने की आवश्यकता नहीं रही है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—**I don't want to move it, Sir.**

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिदेव जोशी ने क्लॉज़ ५ पर प्रस्तुत किया है और माननीय मन्त्री ने जिसे स्वीकार किया है, वह स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५, एज़ अमेंडेड, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५, एज़ अमेंडेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Now Clause 1. Shri H. K. Vyas.

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—I don't want to move it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—The Question is that clause 1 stand port of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1 is added to the Bill.

(विराम)

Now preamble, Shri Harideo Joshi.

श्री हरिदेव जोशी—माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रिएम्बल में मेरा यह संशोधन है—

"In line 4 after the word 'persons' insert the following :—

"or for community purposes."

श्री उपाध्यक्ष—In line four or line six?

श्री हरिदेव जोशी—टाइप्ड कापी के अनुसार लाइन सिक्स था। प्रिन्ट होने के बाद चेन्ज हो गया है।

[श्री हरिदेव जोशी]

इस सिलसिले में मेरा निवेदन है कि थोड़े दिनों पहले मैंने अपना संशोधन (क्लॉज़ २ (१) ए में) पेश किया था वह यह था कि—

"Or to use it for Community purposes."

इसकी भूदान के कार्यों के साथ समता है कि जिस तरह एक आदमी के काम में आ सके, या अधिक लोगों के काम में आ सके उसी तरह उसे कॉम्युनिटी पर्पज़ के लिये काम में लाया जाना चाहिये।

प्रिएम्बल में ये शब्द जोड़ने से, जो मेरा संशोधन पीछे आया है, उसका और इसका तारतम्य बैठता है।

स्थिति यह है कि जहाँ हम एक व्यक्ति की असुविधा को दूर करना चाहते हैं वहाँ समाज की असुविधा को दूर करना चाहिये। मेरे संशोधन के अनुसार "Community purposes" को जोड़ने से गाँव को, गाँव के निवासियों को लाभ होगा और भू-दान यज्ञ से जो व्यापक लाभ मिल सकता है वह भी इसमें सन्निहित हो सकेगा।

मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री भोगीलाल पंड्या—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रियेम्बल पर श्री हरिदेव जोशी ने प्रस्तुत किया है और माननीय मन्त्री ने स्वीकार किया है वह स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

The Question is that the Preamble of the Bill, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Peamble of the Bill, as amended, is added to the Bill.

श्री हरिदेव जोशी—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जो संशोधन रखा था उसमें "Community purpose" की डेफीनेशन भी जरूरी है। मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

Add a new part (c) after clause 2 (1) (c) :

Page No.83

[श्री हरिदेव जोशी]

" 'Community purposes' means any purpose of public utility, including sites for Compost pits, for public latrines, for school farms, for health centres, for recreation, for grazing or for other similar purposes."

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—It has been adopted, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—Now you are to move.

श्री भोगीलाल पंड्या—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इसे (भूदान यज्ञ बिल को) पारित किया जाय।

श्री हरिदेव जोशी—माननीय उपाध्यक्ष, इसे पारित किया जाय इससे पहले क्लाज ८ (सी) सब क्लाज (२) में मेरा संशोधन है उसे मूव करना चाहता हूँ, "The members of Tehsil Committees shall be chosen by the Board from amongst persons residing within the area of the Tehsil."

इसमें "The members of the Tehsil Committeee" के बाद में शब्द 'Ordinarily' जोड़ दिया जाय।

पहले जब इस पर विचार हो रहा था तो मैंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि तहसीलों के और तहसीलों के बाहर के आदमियों को भी रहने की सुविधा दी जानी चाहिये......

श्री जवानसिंह—श्रोन ए पाइन्ट श्रोफ इन्फोर्मेशन, सर, क्या यह जो अमेंडमेंट मूव किया जा रहा है, उसके बारे में पहले सूचना दी जा चुकी है ?

श्री हरिदेव जोशी—मैंने सूचना तो नहीं दी है, बहुत साधारण सी चीज है। सुविधा के लिए और काम को अच्छी तरह करने की दृष्टि से हाउस इजाजत दे तो मैं मूव करूं।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—It is out of order.

कु० श्री जसवन्तसिंह—इस क्लॉज पर जो संशोधन लाया जा रहा है उससे सुविधा हो सकती है, बस बात को अगर मान लिया जाय तो भी, जब कि यह क्लॉज पास हो चुका है तो दुबारा कैसे श्रोपन (open) किया जा सकता है ?

श्री हिम्मतसिंह—एक साल बाद लिया है न।

श्री जवानसिंह—रूल्स के खिलाफ होते हुए भी क्या माननीय मन्त्रीजी को यह मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष—यह हो चुका है।

श्री श्रीदास गोयल—मैं ऐसा समझता हूँ कि रूल्स ऑफ बिज़नेस के अनुसार it is in the discretion of the chair to allow such amendment, if practically it is possible.

श्री हिम्मतसिंह—कॉपी मैं दे देता हूँ।

(कुँ० श्री जसवन्तसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—इसको पारित करने के बारे में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन मूव कर दिया है। बहस की स्टेज निकल गई है।

The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

बिल पारित किया गया।

राजस्थान उत्पाद कर (संशोधन) विधेयक, १६५४

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूं कि आज काफी काम खत्म हो चुका है और नया कोई काम लिया जावेगा तो मैं समझता हूँ कि समाप्त नहीं हो पावेगा।

श्री भोलानाथ—माननीय उपाध्यक्ष, बहुत छोटा सा काम है और मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को खुशी होगी।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, यह इतने थोड़े समय में कैसे हो सकता है। यह खुशी इनको हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—अभी टाइम है।

श्री भोलानाथ—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एक्साइज़ (अमेंडमेंट) बिल, १६५४ को विचारार्थ लिया जाय। इस पर कोई संशोधन नहीं है इसलिए इसको पास किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

The Rajasthan Excise (Amendment) Bill, 1954 be taken into consideration ?

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

The Motion is adopted.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, ओरिजिनल बिल हम लोगों के पास है नहीं। यह लेजिस्लेचर का मामला है; उसको बगैर सोचे समझे हम मन्जूर कर लें यह उचित नहीं। कोर्ट में केसेज़ चलते हैं और कार्य के विरुद्ध फैसले दिये जा रहे हैं तो इसमें भी कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बात जरूर है। इसलिए इसको कल लिया जाए तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मन्त्री इसको ऐक्सप्लेन (explain) करेंगे कि वे इसको क्यों रखना चाहते हैं ?

श्री भोलानाथ—माननीय उपाध्यक्ष, जैसा कि इसके स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में साफ जाहिर है कि इस पुराने एक्ट में कन्ट्री लीकर और फोरिन लिकर (Country liquor and foreign liquor) को डिफाइन करने के लिए कुछ क्लॉज बने हैं, इसके अलावा क्लॉज़ (२) और ऑफ सेक्शन ३ बिलकुल रिडन्डेन्ट (redundant) है रिडन्डेन्ट होने के कारण कोर्ट में कुछ मामले गए तो हाल ही में कुछ एडवर्स जुडिशियल डिसिज़न हुए। गवर्नमेंट को कन्ट्री लीकर और फोरिन लिकर को डिफाइन करने का पॉवर है, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए इस क्लॉज को हटा दिया जावे।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—हमारे कुछ समझ में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—वह क्लॉज़ पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री भैरूँसिंह (१६)—ओरिजिनल बिल में से पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री भोलानाथ—क्लॉज २ में:—

"'Country spirit', 'country fermented liquor' means spirit other than rectified spirit and fermented......"

श्री भैरूँसिंह—सुना नहीं जाता है, आवाज नहीं आ रही है। जरा जोर से पढ़ कर सुनाए तो उचित होगा।

श्री भोलानाथ—सेक्शन ३ के सब क्लॉज (२) में इस प्रकार है: "means spirit other than rectified spirit and fermented liquor made in India whether by European or by indeigenous processes, and not coloured, flavoued, tinctured or otherwise sophisticated."

उसको हटाना है। उसको डिफाइन करने का गवर्नमेंट के पास अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह (१६)— इसका हिन्दी अनुवाद सुना दें तो और भी साफ हो जावेगा।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, कन्ट्री लिकर और फोरिन लिकर क्या होती है और इस क्लॉज़ को क्यों हटाया जाता है, इसमें कॉम्प्लीकेशन जरूर है ? अदालतों में मामले होते हैं इसलिये इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।

श्री गोपीलाल यादव—जिस कन्ट्री लिकर और फोरिन लिकर का अभी जिक्र किया और इस क्लॉज़ को हटाने का जिक्र किया, क्या यह पब्लिक के फायदे में पड़ता है या गवर्नमेंट को कोई ट्रबल (trouble) इससे होती है इसलिये इसको हटाया जाता है, कुछ समझ में नहीं आता ? आप क्या बात कह रहे हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता ?

श्री भोलानाथ—इसमें क्लॉज़ (४) में यह आया है "What is to be deemed liquor :—

'The Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, declare any substance to be 'liquor' for the purposes of this Act or any portion thereof.'

एक तो यह है कि इसको डिलीट करने का गवर्नमेंट को अधिकार है। (३) है इसमें डेफीनेशन दी हुई है। जब यह दी हुई है तो फिर उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—I would very respectfully submit that legislation should not be undertaken like this. The definition given by the Hon'ble Minister howsoever brilliant may be, not clear to us, I would seek your permission to say that discussions may be continued tomorrow when we have a chance to look into the original Act. That may take time but then whatever is passed, it must be passed in a sensible way; otherwise we will make laughing stuff of ourselves.

श्री भोलानाथ—आपके पास दोनों बिल भेज दिये जावेंगे।

श्री भैरूंसिंह (१६)—आप अकेले ही देखने वाले नहीं हैं।

श्री भोलानाथ—आपको तैयार होकर आना चाहिये।

श्री भैरूँसिंह—ओरिजिनल बिल हमारे पास नहीं था । इसकी कॉपी भी प्रेस में उपलब्ध नहीं थी ।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अगर ओरिजिनल बिल के क्लॉज़ ३ और ४ को कॉपी आज सर्क्यूलेट करा दी जावे तो कल हम देख कर आवेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—यह एक्ट लाइब्रेरी में अवेलेबल हो सकता है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—What is the hurry. Tomorrow we can pass it as a first thing.

श्री भोलानाथ—ऐसा यह कोई गम्भीर विषय नहीं है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—But, what is the hurry ? It may be taken first of all. I would repuest your indulgence and that of the House that we may disperse now cool-heaed to come back more cool-headed tomorrow.

श्री भैरूँसिंह—Tomorrow, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—क्या हाउस की यह इच्छा है कि इसको कल लिया जाय और क्या एडजोर्न किया जाय ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—श्री भोलानाथजी, यह कल सबसे पहले पाँच मिनिट में नकल जायगा ।

श्री भोलानाथ—अच्छी बात है ।

श्री मानसिंह महार—मानले साहब भोलानाथजी । इतनी तो हमारी भी सुन लीजिये, जरुर ।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है, एडजोर्न कर देना चाहिये । कल शुरू में ले लेंगे ।

("८.१० हो चुके हैं" ऐसी सदन में आवाज)

Page No.88

राजस्थान मुद्रांक विधि अन्तग्रं हण (संशोधन) विधेयक, १६५४

श्री भोलानाथ—दूसरा जो राजस्थान स्टाम्प लॉ एडेप्टेशन बिल है वह ऐसा नहीं कि जिसमें अधिक समय लगे, उसको ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या आप उसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहते हैं ?

(कुछ विराम के अनन्तर)

श्री भोलानाथ—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान स्टाम्प लॉ (एडेप्टेशन) एमेंडमेंट बिल, सन् १६५४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूँ कि विचारार्थ लेने के पहले इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जाय ताकि वहाँ से जो कुछ रिपोर्ट आवे उससे यहाँ तय किया जा सके।

श्री जवानसिंह—I second it, Sir.

श्री भोलानाथ—मैं इसको मन्जूर करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या हाउस की स्वीकृति है ?

(स्वीकृत)

सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किये जाने की स्वीकृति है । सदस्यों की सूची पेश की जाय।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The opposition has not been consulted, Sir; I undestand, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—नाम की सूची आप तय करके अभी बताना चाहते हैं या कल ?

(कुछ विराम के अनन्तर)

श्री भोलानाथ—माननीय उपाध्यक्ष राजस्थान स्टाम्प लॉ (एडेप्टेशन) अमेंडमेंट बिल, सन् १६५४ के सम्बन्ध में सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :

[श्री भोलानाथ]

१. मेम्बर इन्चार्ज
२. श्री चन्दनमल
३. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
४. श्री शाह अलीमुद्दीन ।
५. श्री कंवरलाल जेलिया ।
६. श्री श्रीदास गोयल ।
७. श्री महादेव प्रसाद ।
८. श्री कानसिंह ।
९. श्री जयसिंह रानावत ।
१०. श्री वेदपाल त्यागी ।
११. श्री हरिदत्त
१२. श्री गोपीलाल यादव ।
१३. श्री जवानसिंह ।
१४. श्री भोपालसिंह ।
१५. श्री एडवोकेट जनरल ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या इन नामों के लिए हाउस की स्वीकृति है ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, रिपोर्ट कब पेश की जायगी ?

श्री भोलानाथ—रिपोर्ट दो महीने में पेश की जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिये भी स्वीकृति दी जाय ।

(स्वीकृत)

रिपोर्ट २ माह में पेश की जाय। I adjourn the House till tomorrow at 5 p. m.

(सदन की कार्यवाही ८ बज कर ४० मिनिट पर कल ५ बजे सायंकाल तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–१७ मई, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ६८४ का उत्तर देखिये)

(A)LIST OE 58 CASES NOT SENT TO THE COURT FOR WANT OF PROOF AND EVIDENCE.

S. No.	Name of Offender.	No. of Vehicle.
1.	Shri Kanhaiya Lal S/o Chothram.	Truck RJL 1426
2.	Shri Jagan Singh S/o Narainsingh.	Lorry RJL 1237
3.	Shri Om Prakash S/o Ram Singh.	Truck RJL 1423
4.	Shri Sukhram S/o Shankerdas.	Truck RJL 1402
5.	Shri Mohammad Ibrahim S/o Jahangir.	Bus RJL 1050
6.	Shri Nur Mohammad S/o Chand Mohammad.	Bus 1050
7.	Moti Ram S/o Prema Lal.	Bus RJL 1399
8.	Shri Mangilal S/o Dhan Singh.	Car RJQ 256
9.	Shri Bhura Ram S/o Jagat Ram.	Bus RJL 249
10.	Shri Balbir Singh S/o Pokhar Singh.	Bus RJL 131
11.	Shri Ganpat Lal S/o Bhonrilal.	Truck RJL 163
12.	Shri Mulchand S/o Jodhram.	Bus RJL 2131
13.	Shri Ghasiram S/o Dhanna.	Car RJL 2281
14.	Shri Fateh Mohd. S/o Kamruddin.	Truck RJL 746
15.	Shri Pratap Singh S/o Jaswant Singh.	Car RJQ 625
16.	Shri Sohan Lal S/o Kanhaiya Lal.	Truck RJL 710
17.	Shri Bajranglal S/o Dulchand.	Truck RJL 2016
18.	Shri Harman S/o Nanagram	Lorry RJL 2096
19.	Shri Karan Singh S/o Mangu Singh.	Lorry RJL 1318
20.	Shri Radhey Shyam S/o Mangi Lal.	Lorry RJL 631
21.	Shri Man Singh S/o Kalyan Singh.	Lorry RJL 1715
22.	Shri Noor Mohammad.	Lorry RJL 1880
23.	Shri Chotulal S/o Kalu Ram.	Bus RJL 278
24.	Shri Kajor S/o Abdulla.	Car RJL 833
25.	Shri Dalip Singh S/o Ram Singh,	Bus RJL 485
26.	Shri Nazir Khan S/o Alikhan.	Car RJL 2399
27.	Shri Chailaram S/o Khan Chand.	Bus KJL 400
28.	Shri Duni Chand S/o Lal ji	Bus RJL 2638
29.	Shri Sedanand S/o Ganpat Ram.	Bus RJL 3048
30.	Shri Ram Bhajan S/o Srilal.	Bus RJL 838
31.	Shri Hari Shanker S/o Beharilal	Car RJA 44

S. No.	Name of Offender.	No. of Vehicle.
2.	Shri Bhaonri Lal S/o Ram Gopal.	Car RJL 2692
33.	Shri Gopal S/o Sheonath Ram.	Car RJL 1057
34.	Shri Rameshwar S/o Ram Kishan.	Car RJL 361
35.	Shri Narain Singh S/o Pirthi Singh.	Truck RJL 688
36.	Shri Maqbul S/o Alladin.	Truck RJL 868
37.	Shri Durga S/o Nanagram.	Tractor RJL 519
38.	Shri Teju Mal S/o Shyamu Mal.	Bus RJL 2131
39.	Shri Mohd.	Truck RJL 186
40.	Shri Mul Chand S/o Jodha Ram.	Bus RJL 2623
41.	Shri Nidhigir S/o Shyam Singh.	Truck RJD 31
42.	Shri Dharam Singh S/o Nikuwa Singh.	Truck RJD I9
43.	Shri Prakash Chandra Jain.	Car RJL 2174
44.	Shri Suraj Singh S/o Jai Singh.	Truck RJL 53
45.	Shri Bhgawan Singh S/o Bhopal Singh.	Motor Cycle.
46.	Shri Nand Lal S/o Bhawani Ram.	Truck RJL 3095
47.	Shri Nanag Chand S/o Ghisati Ram.	Truck DLB 1055
48.	Shri Khem Singh S/o Pushkar Singh.	Truck RJL 1996
49.	Shri Sardar Singh S/o Jiwan Singh.	Truck RJL 1515
50.	Shri Jamil Ahmad S/o Abdul Majid.	Truck RJL 2743
51.	Shri Radhey Shyam S/o Ram Chandra.	Truck RJA 244
52.	Shri Babu Singh S/o Ram Lal.	Truck RJL 521
53.	Shri Krishna Kumar S/o Rup Chand.	Bus RJL 400
54.	Shri Balu Ram.	Car RJL 971
55.	Shri Ram Pratap S/o Goru.	Car RJL 768
56.	Shri Narain Prasad S/o Prem Chand.	Truck RJL 907
57.	Shri Nar singh Lal S/o Janak Lal.	Car RJL 695
58.	Shri Jaithanand S/o Pessu Mal.	Bus RJL 3027

(B) LIST OF 14 CASES OF TAX EVASION COMPOUNDED BY TAXATION OFFICER ON PAYMENT OF ADDITIONAL COMPOSITION FEE.

S N	Name	No. of Vehicle.
1.	Shri Ramgopal Madangopal.	RJL 1143
2.	Shri Fateh Lal.	RJL 1160
3.	Shri Sajjan Singh.	RJQ 253

S. N.	Name	No. of Vehicle.
4.	Shri Noor Mohammad.	RJL 2870
5.	Shri Alanoor.	RJL 2902
6.	Shri Phool Chand Gopi Chand.	RJL 484
7.	Shri Man Singh.	RJL 2923
8.	The Manager, Harijan Yatayat Samuday.	RJL 2823
9.	Shri Chand Ratan.	
10.	Shri M. L. Subrawal, Executive Engineer, P. W. D. Jaipur.	
11.	Shri Ram Narain.	RJL 2973
12.	Shri Gopi Nath Shyam Lal.	RJL 724
13.	Shri Maha Deva.	RJQ 255
14.	Shri Kalu,	RJL 1550